कृषि निर्यात नीति

सत्यमेव जयते

वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

<u>विषय - सूची</u>

1. परिचय
2. कृषि निर्यात नीति: उद्देश्य और विजन
3. वर्तमान कृषि व्यापार परिदृश्य
4. कृषि निर्यात नीति संबंधी रूपरेखा के घटक
5. कार्यनीति संस्तुतियां
5.1 नीति संबंधी उपाय
5.1.क. स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था
5.1.ख. एपीएमसी अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क की सुव्यवस्थितता
5.2 अवसरंचना एवं संभार - तंत्र में सुधार
5.3 निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण
5.4. कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी
5.4.क. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल राज्य विभाग / एजेंसी की पहचान करना
5.4.ख. राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात को शामिल करना
5.4.ग. कृषि निर्यात को सुगम बनाने के लिए अवसरंचना एवं संभार – तंत्र
5.4.घ. निर्यात में सहायक राज्य स्तर और सामूहिक स्तर पर संस्थागत तंत्र
6. परिचालन संबंधी संस्तुतियां
6.1 समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना
6.2 मूल्य वर्धित निर्यात संवर्धन
6.2.क. स्वदेशी वस्तुओं और मूल्यवर्धन के लिए उत्पाद विकास
6.2.ख. मूल्य वर्धित जैविक निर्यात को बढ़ावा देना
6.2 ग. भावी बाजारों के लिए नए उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संवर्धन
6.2 घ. कौशल विकास
6.3 "भारत का उत्पाद" का विपणन और संवर्धन
6.4 कृषि निर्यात अवसरंचना एवं संभार – तंत्र
6.4.क. व्यवसाय करने की आसानी (ईओडीबी) और डिजिटाइजेशन
6.4.ख. समुद्री प्रोटोकॉल का विकास
6.5 सुदृढ़ गुणवत्ता पद्धति की स्थापना
6.5.क. घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला और मानकों की स्थापना और रखरखाव।
6.5.ख. एसपीएस और टीबीटी प्रतिक्रिया तंत्र

6.5. ग. अनुरूपता का निर्धारण
6.6 स्व-पर्याप्तता और निर्यात उन्मुख उत्पादन
6.7 अनुसंधान और विकास
6.8 विविध
6.8.क - कृषि-स्टार्ट-अप निधि का सृजन
निष्कर्ष

संक्षिप्त रूप

एईपी - कृषि निर्यात नीति
एईजेड - कृषि निर्यात क्षेत्र
एपीईडीए - कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएमसी - कृषि उत्पादन विपणन समिति
आसियान - दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ
सीएजीआर - समग्र वार्षिक विकास दर
सीआईबी - केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड
सीएनएसएल - काजू गिरी शैल लिक्विड
सीपीसी - शीघ्र खराब होने वाले माल
सीएसआईआर - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
डीएसी और एफडब्ल्यू - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
डीएएचडीएफ - पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
डीएआरई - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
डीएआई-एनआरएलएम - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीएफपीडी - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
डीओसीए - उपभोक्ता मामले विभाग
डीजीएफटी - विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओसी - वाणिज्य विभाग
ईआईसी - निर्यात निरीक्षण परिषद
ईएफएसए - यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण
ई-एनएएम - इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईपीसी - निर्यात संवर्धन परिषद
ईयू- यूरोपीय संघ
एफएएमए - संघीय कृषि विपणन प्राधिकरण
एफडीआई - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफआईईओ - भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफओबी - पोत पर्यन्त निशुल्क
एफओआरईएक्स- विदेशी मुद्रा विनिमय
एफपीओ - किसान निर्माता संगठन
एफएसएसएआई- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एफएसवीपीएस - संघीय पशु चिकित्सा और पादप सुरक्षा निगरानी सेवा (रोसेलखोजनदजोर)
एफटीए - मुक्त व्यापार करार

जीएपी - अच्छी कृषि पद्धतियां
जीसीसी - खाड़ी सहकारी परिषद
जीडीपी- सकल घरेलू उत्पाद
जीआई - भौगोलिक संकेत
जीएसटी - माल एवं सेवा कर
एचपीएमसी - हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
आईएआरआई - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईबीईएफ - भारतीय ब्रांड समता फाउण्डेशन
आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडी / सीएफएस - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन
आईडीएमएफ - समेकित मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन
आईपी - बौद्धिक संपदा
आईक्यूएफ - व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग
आईटी - सूचना प्रौद्योगिकी
मार्कफ - पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन परिसंघ लि.
एमईपी - न्यूनतम निर्यात मूल्य
एमआईडीएच - एकीकृत बागवानी विकास मिशन
एमओएफपीआई - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमपीईडीए - समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एमआरएल - अधिकतम अवशेष सीमा
एमएसएमई - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एनएबीएल - राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनपीओपी - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम
एनपीपीओ - राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन
एनएसएसओ - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनटीबी - गैर-टैरिफ अवरोध
पीएमकेएसएएमपीएडीए - एग्रो मरीन प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान स्कीम
पीपीपी-आईएडी - एकीकृत कृषि विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
आरएण्डडी- अनुसंधान और विकास
आरएमपी - अवशेष निगरानी योजना
एसईजेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचजी - स्व- सहायता समूह
एसपीएस - स्वच्छता और पादपस्वच्छता उपाय

टीबीटी - व्यापार में तकनीकी अवरोध

टीआईएस - निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम

यूएई- संयुक्त अरब अमीरात

यूएस - संयुक्त राज्य अमेरिका

यूए एफडीए - संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन

यूएसडीए - संयुक्त राज्य कृषि विभाग

डब्ल्यूटीओ - विश्व व्यापार संगठन

<u>कृषि निर्यात नीति</u>

परिचय

भारत अपनी विशाल एवं विविध कृषि के साथ अनाज, दुग्ध, चीनी और सब्जियों, मसाले व समुद्री उत्पादों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है । भारतीय कृषि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारी 58 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है । विश्व के मात्र 2.4 प्रतिशत भूमि एवं 4 प्रतिशत जल संसाधनों के साथ भारत विश्व की जनसंख्या का 17.84 प्रतिशत, पशुधन की 15 प्रतिशत आबादी का संरक्षण करता है । अत: भारतीय कृषि के लिए सतत नवोन्मेष और उत्पादकता के लिए प्रयास, फसल पूर्व एवं उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं अवसंरचना अनिवार्य है । भारत में ताजे फलों और सब्जियों, मछली पालन पर विभिन्न अध्ययन, फसलोपरांत खराब प्रबंधन, शीत श्रृंखलाओं एवं प्रसस्करण सुविधाओं का अभाव के कारण लगभग 8 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक हानि की प्रतिशतता को दर्शाते हैं । इसलिए, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और यह संतोषप्रद है कि कृषि उत्पादों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का योगदान निरंतर बढ़ रहा है । 2016 के डब्ल्यूटीओ व्यापारिक आंकड़ो के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रमुख निर्यातकों में भारत का दसवां स्थान है । विश्व स्तर पर कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा विगत कुछ वर्षों के 1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में 2.2 प्रतिशत हो गया है ।

हाल की वृद्धि दरों से प्रदर्शित होता है कि कृषि - खाद्य उत्पादन घरेलू मांग में बढ़ोतरी की तुलना में अधिक तेजी से बढ रहा है और निर्यात के लिए अधिशेष की मात्रा में त्वरित वृद्धि देखी जा रही है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी बाजारों के दोहन तथा कृषि ऊपज के लिए उच्चतर मूल्य अर्जित में उत्पादकों को सक्षम बनाने की संभावना एवं अवसर प्रस्तुत करता है।

<u>2. कृषि निर्यात नीति : उद्देश्य और विजन</u>

1.3 बिलियन उपभोक्ताओं के गतिशील राष्ट्र ने बढ़ती हुई विवेकशील आय, बदलते हुए खाद्य प्रवक्तियों, विशाल खेती क्षेत्र और कृषि पर निर्भर एक बड़ी आबादी के साथ भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में और एक प्रमुख खाद्य उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में विश्व के केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया है । प्राय: यह सुझाव दिया जाता है कि " मेक इन इंडिया" का एक आवश्यक घटक "बेक इन इंडिया" होना चाहिए अर्थात मूल्य वर्धन एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर एक नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया जाए । तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या एवं घटती हुई खेतीहर भूमि के साथ बदलती हुई सामाजिक - आर्थिक कृषि जलवायु और आहार संबंधी प्रवृत्तियों के कारण वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के समझ खेती करने एवं आहार

उपलब्ध कराने के 7.5 बिलियन वैश्विक नागरिकों को तरीकों पर पुनर्विचार करने को चुनौती दी है । भारत सतत रूप से उपज करना, प्रचुर मात्रा में व्यापार करना और सौहर्द्रपूर्वक प्रगति करने के तरीके की खोज कर रहा है । यदि कृषि निर्यात को अवसंरचना, पैकेजिंग, माल परिवहन, का समुचित ढंग से सहयोग प्राप्त हो और बाजार पहुँच द्वारा सहायता प्राप्त आन्तरिक उत्पादन प्रणाली से सम्पर्क स्थापित कर दिया जाए तो हम कृषि व्यवस्था में परिवर्तन लाने की स्थिति में होंगे ।

हालांकि, न्यून खेती उत्पादकता से लेकर खराब उत्पादकता तक, बाजार पहुँच में वैश्विक मूल्य में अस्थिरता तक चुनौतियां बहुत अधिक हैं । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन के लिए उत्पादन की लागत को कम करने के साथ उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी । इसके लिए भारत को वैश्विक बाज़ार में अपने निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए एक लाभकारी मूल्य और विपणन चैनल मिल जाए । लम्बे समय से एक समर्पित कृषि निर्यात नीति की आवश्यकता है ।

वाणिज्य विभाग के व्यापक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक समर्पित नीति की आवश्यकता संघ एवं राज्य सरकार की संघीय एवं प्रशासनिक संरचना के कारण उत्पन्न होती है । जबकि, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएवंएकडब्ल्यू) और पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्य विभाग (डीएएचडीएच) उत्पादन, फसल पूर्व प्रबंधन और किसानों की आय में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मूल्य वर्धन, फसलोपरांत हानियों और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करता है । जबकि दूसरी ओर, वाणिज्य विभाग का ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में विदेश व्यापार पर केन्द्रित है । भारत सरकार द्वारा एक ऐसी स्थायी एवं पूर्व निर्धारित कृषि निर्यात नीति स्थापित करने की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य निर्यातोन्मुख फसल उत्पादन और परिवहन, अवसंरचना बाज़ार पहुँच सुगम बनाने के लिए सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को पुन: स्थापित करना है । कृषि निर्यात को हमारे मौजूदा कृषि ढांचे में शामिल किया जाना है । एक ओर यह स्थायी कृषि की रूपरेखा एवं दूसरी ओर व्यवहार्य कृषि निर्यात नीति के बीच एक सहजीवी संबंध हैं । ऐसी नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण निर्यात अवसरों के माध्यम से सीधे किसानों को आय प्रदान करेगी ।

कृषि निर्यात नीति में कृषि निर्यातोन्मुख उत्पादन, निर्यात संवर्धन, किसानों को बेहतर आय, भारत सरकार के भीतर सिंक्रोनाइज़ेशन करना । स्रोत पर ही मूल्य वर्धन के माध्यम से आजीविका में सुधार के लिए " किसान केन्द्रित दृष्टिकोण " की आवश्यकता है जो समस्त मूल्य श्रृंखला में हानि को कम करने में सहायक होगा । खाद्य सुरक्षा और विश्व के प्रमुख कृषि निर्यातक बनने के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भारत को एक किसान केंद्रित

रणनीति बनाने की आवश्यकता है । यह वैश्विक स्तर पर इसकी कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य वर्धित प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए भारत की भागीदारी में बढ़ोतरी करने की दिशा में दृश्यमान बदलाव करने में सहायक होगा । व्यापक विजन पर निम्नानुसार प्रकाश डाला जा सकता है :-

भारत की कृषि निर्यात नीति - उद्देश्य

- एक स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था से कृषि निर्यातों को दोगुना करने के लिए इस समय 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2022 तक 60 + बिलियन अमरीकी डॉलर तक और आगामी कुछ वर्षों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचाना ।
- हमारी निर्यात बास्केट में विविधता लाने के लिए उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित निर्यातों में वृद्धि के साथ शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करना ।
- नवीन, स्वदेशी, जैविक, संजातीय, परम्परागत एवं गैर - परम्परागत कृषि उत्पाद निर्यात का संवर्धन करना ।
- बाजार पहुँच, अवरोधों से निपटने और स्वच्छता व पादप स्वच्छता मामलों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना ।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत विश्व कृषि निर्यात में शीघ्रताशीघ्र भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने के प्रयास करना ।
- एकीकृत उत्पाद फोकस मूल्य श्रृंखला एवं अवसंरचनात्मक विकास के लिए निर्यात केन्द्रित समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना ।
- किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना ।

भारत की कृषि निर्यात नीति - विजन

भारत को कृषि में वैश्विक महाशक्ति बनाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीति माध्यमों के जरिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना।

3. वर्तमान कृषि व्यापार परिदृश्य

पिछले पांच वर्षों (2013 -17) में विश्व कृषि व्यापार अपेक्षाकृत स्थिर रहा है । तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट ने वैश्विक कृषि वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । तथापि, व्यापार की मात्रा में गिरावट नहीं आई जो वैश्विक बाजार में जोरदार मॉग प्रदर्शित करती है। वैश्विक मूल्यों में गिरावट एवं 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान लगातार सूखों के प्रभाव के कारण भारत का कृषि निर्यात[1] " वित्तीय वर्ष 2013 " के 36 बिलियन अमरीकी डॉलर से -5 प्रतिशत सीएजीआर घटकर वित्त वर्ष 2017 में 31 बिलियन अमरीकी डॉलर हो

[1] एचएस कोड अध्याय 1-23

गया[2] । तथापि, वर्ष 2016-17 में सामान्य उत्पादन के साथ, भारत के कृषि निर्यात में कठिन वैश्विक बाजार स्थिति के बावजूद उल्लेखनीय रूप से सुधार आ गया । भारत के दस वर्ष के कृषि निर्यात के तुलनात्मक विश्लेषण से एक वर्ष 2007 से 2016 के बीच चीन (8 प्रतिशत), ब्राजील (5.4 प्रतिशत) और यूएस (5.1 प्रतिशत) की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान कॉफी, अनाज, बागवानी उपज का निर्यात दोगुना हो गया जबकि मांस, मछली, संसाधित उत्पादों के निर्यात से 3 से 5 गुना के बीच वृद्धि हुई । इसके बावजूद भारत का कृषि निर्यात अधिक छोटे कृषि भूमि वाले थाइलैंड एवं इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में भी कम है।

आज भारतीय कृषि हरित क्रांति युग की तुलना में संरचनात्मक रूप से भिन्न है । 70 के दशक के पूर्वार्ध और 80 के दशक के उत्तरार्ध के मध्य भारत का वार्षिक फसल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक हो गया । इस प्रारम्भिक अवधि, के दौरान, वृद्धि की गति काफी धीमी रही । यह मुख्यत: अनाज केन्द्रित थी, जो केवल गेहूँ और चावल तक सीमित थी । हालांकि, वर्ष 2000 से 2014 के बीच देश का कृषि उत्पादन 101 बिलियन डॉलर से बढ़कर 367 बिलियन डॉलर हो गया जो मुख्यत: उच्च मूल्य क्षेत्रों जैसे बागवानी, दुग्ध, मुर्गी पालन और अंतर्देशीय मत्यस्य पालन द्वारा प्राप्त हुआ था । अन्य किसी देश में भारत के समान इतनी अधिक भोजन संबंधी विविधता और गैर खाद्य कृषि आधार नहीं है, यह आशा उत्पन्न करता है कि भारत विश्व कृषि व्यापार में अग्रणी भूमिका निभा सकता है ।

भारत का निर्यात बास्केट चावल (6 बिलियन अमरीकी डॉलर), समुद्री उत्पादों (5.8 बिलियन अमरीकी डॉलर) एवं मांस (4 बिलियन अमरीकी डॉलर) का विविधतापूर्ण मिश्रण है जो परस्पर मिलकर इसके कुल कृषि निर्यातों का 52 प्रतिशत हिस्सा हैं[3] । हालांकि भारत की उल्लिखित कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में अग्रणी स्थिति है तथापि इसका कुल कृषि निर्यात वैश्विक व्यापार कृषि व्यापार से मात्र 2 प्रतिशत अधिक है, जो 1.37 ट्रिलियन अम.डा. अनुमानित है[4]। स्पष्ट रूप से आंतरिक दिखने वाली भारत की नीतियों का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इनका मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरीकरण है।

भारत का वैश्विक कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला के निचले स्तर पर रहा है क्योंकि इसके अधिकांशत: निर्यात कम मूल्य के, अर्ध - संसाधित और भारी मात्रा में विपणन किए जाते हैं । भारत के उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद[5], इसकी निर्यात बास्केट में यूएस के 25 प्रतिशत

[2] स्रोत: डीजीसीआईएस

[3] डेटा 2016-17 से संबंधित, स्रोत: डीजीसीआईएस

[4] एचएस कोड अध्याय 1-23

[5] एचएस कोड अध्याय 7,8,16,20,21

और चीन के 49 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत से भी कम है[6] । भारत गुणवत्ता में एकरूपता की कमी, मानकीकरण और मूल्य श्रृंखला के घाटे में कटौती करने में अपनी असमर्थता के कारण अपने विशाल बागवानी उत्पादन का निर्यात करने में असमर्थ है । मूल्य श्रृंखला के वैश्वीकरण को देखते हुए, यह आवश्यक है कि देश उच्च मार्जिन, मूल्यवर्धित और बांडेड संसाधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करे । यह नीति घरेलू मांग की पूर्ति के बाद अवशिष्ट निर्यात से विदेशी बाजार की वरीयताओं के अनुरूप लक्षित निर्यात की ओर आमूल परिवर्तन से संबंधित होगी।

शीर्ष निर्यात योग्य कृषि जिंसों एवं उत्पादों की पहचान वर्तमान वैश्विक एवं भारतीय व्यापार के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक वस्तु का अध्ययन पांच प्रमुख मानदण्डों के आधार पर विस्तार से किया जाएगा, वैश्विक व्यापार पंचवर्षीय प्रभाव क्षमता, भारत की वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मकता, मूल्यवर्धन के लिए कार्यक्षेत्र और भावी बाज़ार क्षमता । इसका प्रयास 10 वस्तुओं को विशिष्ट खेतों, अवसंरचना और बाज़ार हस्तक्षेप के लिए फोकस कमोडिटी के रूप में सूचीबद्ध करना होगा ।

प्रारम्भिक विश्लेषण निम्न के लिए बहुत अधिक संभावनाएं दर्शाता है : श्रिम्प्स, मांस, बासमती, और गैर बासमती चावल, अंगूर, केला, अनार, सब्जियां जिनमें आलू, संसाधित/मूल्य वर्धित उत्पाद, काजू, पौधों के हिस्से/मूल्य वर्धित रूप से हर्बल दवाओं सहित औषधीय जड़ी बूटियॉ, खाद्य पदार्थ आधारित न्यूट्रास्यूटीकल, एरोमैटिक्स, मसाले (जीरा,हल्दी, काली मिर्च,) एथनिक एवं आर्गेनिक खाद्य पदार्थ ।

4. कृषि ई निर्यात नीति की रूप रेखा के तत्व

इस रिपोर्ट में नीति की संस्तुतियॉ दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है : - कार्यनीति एवं प्रचालनात्मक । कृषि निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं और बाद के उप - वर्गों में इनकी विस्तार से चर्चा की गई है ।

कार्यनीति	नीति संबंधी उपाय करना
	अवसरंचना एवं संभारतंत्र संवर्धन
	निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाना
	कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी होना

प्रचालनात्मक	क्लस्टरों पर ध्यान केन्द्रित करना
	मूल्य वर्धित निर्यातों को बढ़ावा देना
	"ब्रांड इंडिया " का विपणन एवं संवर्धन
	उत्पादन एवं प्रसंस्करण में निजी निवेशों को आकर्षित करना

[6] स्रोत: आईटीसी

	सुदृढ़ गुणवत्ता पद्धति की स्थापना करना
	अनुसंधान एवं विकास करना
	विविध

5. **कार्यनीतिक सिफारिशें**

5.1 **नीतिगत उपाय** : कृषि मूल्य श्रृंखला में सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ चर्चा में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया । इनमें सामान्य और वस्तु विशिष्ट दोनों ही उपाय शामिल हैं - कम से कम बिना कोई वित्तीय लागत के जिन्हें तत्काल किया जा सकता है । हालांकि बाद के लाभ अनेक हैं ।

5.1 **क. स्थिर व्यापार नीति पद्धति:** कुछ कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमत और उत्पादन अस्थिरता को देखते हुए मुद्रास्फीति को कम करने के लघुकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापार नीति का उपयोग करने की प्रवृत्ति रही है । इस तरह के परिस्थितिजन्य उपाय अक्सर उत्पाद और क्षेत्र विशिष्ट होते हैं, उदाहरण के लिए, प्याज और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) पर तदर्थ प्रतिबंध लगाया जाता है। यह निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ता है और एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को प्रभावित करता है जिसका असर भारतीय ऊपज के लिए मूल्य अधिप्राप्ति पर पड़ता है। देश को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के स्रोत के रूप में देखा जाता है और घरेलू मूल्य में उतार-चढ़ाव धार्मिक और सामाजिक विश्वास के आधार पर निर्यात व्यवस्था में परिवर्तन का दीर्घकालिक असर हो सकता है ।

इस तरह के उपायों में निरंतर सुधार करते रहने की आवश्यकता होती है और यह बाजार को चिंतित बना देता है जो अक्सर कीमतों के झटके की ओर ले जाती है। हालांकि ये निर्णय घरेलू मूल्य संतुलन को बनाए रखने के तत्काल उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की छवि विकृत कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संकेत भेजने के लिए राज्य की सीमित के हस्तक्षेप के साथ एक स्थिर और अनुमानित नीति तैयार करना आवश्यक है। निर्यात के लिए और घरेलू खपत के लिए उत्पादों के बीच अंतर करने से बचना आवश्यक है। ऐसा करने का एक तरीका यह निर्णय करना है कि निर्यात प्रतिबंधों/ नियंत्रणों को केवल बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाए। यह अकेले किसान को विदेशी बाजारों के लिए योजना बनाने के लिए कुछ आत्मविश्वास प्रदान करेगा। नीतिगत उपायों से किसानों को बाजार संकेतों के प्रति विश्वासपूर्वक प्रतिक्रिया देने का भरोसा पैदा होगा और उन उत्पादों के प्रति संसाधनों को पुनर्निर्देशित करना चाहिए जो उच्च रिटर्न अर्जित करेंगे ।

अतः कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य इस प्रकार है :

1) एक आश्वासन देना कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और सभी प्रकार के जैविक उत्पादों को निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात मूल्य , निर्यात शुल्क , निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात सीमा, निर्यात अनुमति इत्यादि) के किसी भी प्रकार के दायरे में नहीं लाया जाएगा, हालांकि प्राथमिक कृषि उत्पादों या गैर-जैविक कृषि उत्पादों को कुछ निर्यात प्रतिबंधों के दायरे में लाया जाता है ।

2) संबद्ध हितधारकों एवं मंत्रालयों के परामर्श से कुछ जिंसों की पहचान, जो खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। चरम निर्यात स्थिति के तहत ऐसी चिन्हित जिंसों पर कोई निर्यात प्रतिबंध एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चिन्हित जिंसों पर किसी भी प्रकार का निर्यात निषेध एवं प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ संगत तरीके से किया जाएगा।

3. मूल्य संवर्धन एवं पुनर्निर्यात के लिए कृषि उत्पादों का उदारीकृत आयात।

5.1 **ख एपीएमसी अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क को सुव्यवस्थित करना** : राज्यों में कृषि उत्पादन विपणन समितियां (एपीएमसी) काम कर रही है जो इन अधिनियमों में परिकल्पित किसानों के कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। कुछ एपीएमसी बाजार यार्ड अथवा मंडिया हैं जिनमें जन्मजात अकार्यकुशलता है और अनिवार्यता कार्टलाइजेशन होता है । दशकों से किसान अपने उत्पाद को आधिकारिक बाजार यार्ड में बेचने के लिए मजबूर हैं, चाहे उन्हें उससे सर्वोत्तम लाभदायी कीमत मिले या न मिले । एपीएमसी का एकाधिकार निजी क्रेताओं को बाजार स्थापित करने और बाजार आधारभूत संरचना में निवेश करने से निवारित करता है ।

बाजार शुल्क, अढतिया की कमीशन और (माल एवं सेवा कर) जीएसटी में शामिल नहीं किए गए । अन्य प्रभार राज्य (और स्थानीय निकाय) के अधिकार क्षेत्र में बने रहेंगे। विभिन्न राज्य मंडी खरीद पर विभिन्न शुल्क लागत हैं (बासमती चावल - पंजाब 4 %, हरियाणा 4 % , दिल्ली - 1% ; दालें - महाराष्ट्र 1%, यूपी 2.5%; सोया की तेल रहित खली - महाराष्ट्र 0.85%, मध्य प्रदेश 2.2 %)।

कुछ राज्यों ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम को अपनाया है और फल और सब्जियों को गैर-अधि सूचित करने के लिए संशोधन किए हैं । इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) की स्थापना सही दिशा में एक कदम है। गुणवत्ता माप , आधारभूत संरचना और विवाद निपटान तंत्र ई-एनएएम को और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने 2018-19 का बजट पेश करते समय 22,000 ग्रामीण ग्रामीण बाजारों की घोषणा की है जो कि किसानों को खरीदने और बेचने के फैसले को रोकने के नियमों से नियंत्रित हुए बिना किसानों को अपनी उपज बेचने का लचीलापन प्रदान करते हैं ।

कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य सभी राज्यों द्वारा सुधार के लिए अधिवत्रता मंच के रूप में कार्य करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के प्रक्षेत्र फील्ड कार्यालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों और उद्योग संघों का उपयोग करना है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी एपीएमसी से शीघ्र खराब होने वाली मदें हटा दी जाएं । राज्य सरकारों से बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए मंडी करों को मानकीकृत करने/ तर्कसंगत बनाने का भी आग्रह किया जाएगा । तभी राज्यों में मंडी / कृषि शुल्क की सरलीकरण या समानता एक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करेगी जो कि किसानों को सशक्त करेगी, उन्हें बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी और देश भर में मुक्त व्यापार सक्षम करेगी।

5.2 **अवसंरचना और संभारतंत्र को बढ़ावा**

मजबूत आधारभूत संरचना की उपस्थिति एक मजबूत कृषि मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है। इसमें पूर्व-फसल और पश्चात-फसल हैंडलिंग सुविधाएं, भंडारण और वितरण, प्रसंस्करण सुविधाएं, तेजी से व्यापार की सुविधा के लिए सड़कों और बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय निकास बिंदु आधारभूत संरचना शामिल है। मेगा फूड पार्क, अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं और एकीकृत कोल्ड चेन मूलभूत सिद्धांत हैं जिन पर भारत अपने कृषि निर्यात को बढ़ा सकता है। अधिकतर खाद्य उत्पादों हेतु उनकी विनाशकारी प्रकृति और कठोर आयात मानकों को देखते हुए, कुशल और समय-संवेदनशील हैंडलिंग कृषि वस्तुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मूल्य श्रृंखला में मौजूदा निर्यात उन्मुख अवसंरचना का एक व्यापक आवश्यकता - अंतर विश्लेषण प्रारंभ किया जायेगा। आर्थिक विकास के लिए पोर्ट एक संवाहक हैं। फिर भी, जबकि बंदरगाह विकास वास्तव में निर्यात में सुधार करेगा, यह आपूर्ति, गुणवत्ता, हैंडलिंग और हाइंटरलैंड कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने तक कृषि व्यापार को असाधारण बढ़ावा नहीं देगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्लस्टर की पहचान करना, विनाश के लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी के साथ बंदरगाहों पर समर्पित कृषि आधारभूत संरचना के साथ अंतर्देशीय परिवहन लिंक बनाना, व्यापारिक रूप से बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। अत: निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना होगा:

- प्रमुख बंदरगाहों की पहचान करना जहां वर्तमान / अनुमानित थोक और कंटेनर कृषि यातायात अवसंरचना और आधुनिकीकरण पहलों की मांग है।
- समुद्र बंदरगाह - समर्पित विनाशकारी बर्थ, कृषि जेटी का विकास ;
- कृषि उत्पादों को संभालने के लिए स्टेशनों पर रेलवे- अवसंरचना, रेफर वैगन्स ;

- हवाई अड्डे - बंदरगाहों के लिए केंद्र जैसे मौजूदा निर्बाध अवसंरचना को कार्यान्वित करने की चुनौतियों की पहचान करना और नई सीपीसी, लोडर, नामित और पर्याप्त संगरोध क्षेत्रों की आवश्यकता, बेहतर हिनटरलैंड कनेक्टिविटी।

अक्सर यह इंगित किया जाता है कि रसद प्रबंधन के लिए व्यय, निर्यात की लागत का लगभग 14 से 15% है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 8 से 9% बेंचमार्क की तुलना में, बेहतर संभार तंत्र के कारण बचत वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि निर्यात को काफी प्रतिस्पर्धी बना सकती है। यह कृषि निर्यात नीति का प्रयास होगा कि वह विभिन्न उत्पादों का सामना करने वाली लॉजिस्टिक बाधाओं को संकलित करने और वाणिज्य विभाग में नव निर्मित लॉजिस्टिक डिवीजन के साथ काम करने, चिन्हित मुद्दों को हल करने और ऐसी बाधाओं को हटाने के लिए विभिन्न लाइन मंत्रालयों, राज्य सरकारों के साथ काम करे।

5.3 **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग**, **(डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)**

कृषि निर्यात आपूर्ति पक्ष कारक, खाद्य सुरक्षा, प्रसंस्करण सुविधाओं, अवसंरचना संबंधी बाधाओं और अनेक विनियमों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। भारत में, इसमें डीएसी एवं एफडब्ल्यू, डीएएचडीएफ, खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एमओएफपीआई, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), खाद्य और सार्वजनिक वितरण (डीएफपीडी) समेत कई मंत्रालय शामिल हैं । इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा संचालित अवसंरचना के मुद्दों में भी कृषि निर्यात पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है।

कृषि निर्यात नीति में निर्यात के संवर्धन की दिशा में विशेष प्रयास करने के लिये कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनोंको शामिल करेगा। किसानों तक निर्यात उन्मुख प्रोद्योगिकी ले जाने और निर्यात की संभावनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल किया जायेगा।

हितधारकों ने अक्सर संबंधित मंत्रालयों के एक विचित्र, एकल दिमागी जनादेशों की बात की है जो घरेलू कृषि उत्पादन और वैश्विक व्यापार को सफलतापूर्वक प्रभावित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता घरेलू किसानों के फसल और खेती के निर्णयों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; ग्वार, चावल, दालें और तिलहन इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। समान रूप से, देश की कृषि उत्पादन की स्थिति बड़े पैमाने पर देश के कृषि और खाद्य आयात एवं निर्यात को प्रभावित करती है । संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन यूएस - एफडीए / संयुक्त राज्य कृषि विभाग यूएसडीए, पशु चिकित्सा एवं फाइटोसेनेटरी निगरानी हेतु संघीय सेवा एफएसवीपीएस और संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय खाद्य सुरक्षा

प्राधिकरण (ईएफएसए) को प्रतिबंधित, रूस और यूरोपीय संघ के क्रमशः वे विशेष संगठन उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत हैं जिन्हें कृषि उत्पादन और व्यापार दोनों से संबंधित नीतियां बनाने विनियमित और लागू करने के लिए अधिकार दिया गया है । भारत में ऐसी ही एजेंसियों के लिए काम करना फायदेमंद हो सकता है जो कि प्रभावी एवं सही तरीके से कृषि-खाद्य उत्पादन के सभी पहलुओं को कवर करता है।

भारतीय कृषि निर्यात के लिए कीटनाशक और रासायनिक अवशेष चिंता का मुख्य कारण हैं। भारतीय खाद्य निर्यात को कभी-कभी अवशेषों जो कि आयात करने वाले देशों के अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक हैं के लिए निरस्त कर दिया जाता है । बासमती से अंगूर और मूंगफली तक - सूची लंबी है। रसायनों के न्यायसंगत और समय पर उपयोग के संबंध में भारतीय किसानों के बीच जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा रही है। इसके साथ, कृषक अनेक कीटनाशकों का उपयोग करता हो जिनकी अनुमति नहीं है या अन्य देशों में तेजी से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोपीय संघ के हाल के उपाय में बासमती चावल में 1 पीपीएम से 0.01 पीपीएम तक ट्राइकक्लाज़ोल के एमआरएल को काफी हद तक कम करने का मुद्दा बताया है। अत्यधिक लागत प्रभावी और किसान अनुकूल होना माने जाने पर, ट्राइकक्लाज़ोल पूरे भारत में व्यापक रूप से उपयोग में है । यदि भारतीय चावल निर्यातक एक किसान जागरूकता और कृषि इनपुट स्विच कार्यक्रम लागू करना चाहते थे, तो यह डीएसीएफडब्ल्यू और डीओसी के संयोजन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि कृषि और भूमि राज्य का विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारों को बोर्ड में पूरी तरह से रखने की आवश्यकता होगी। गुणवत्ता नियंत्रण कृषि स्तर पर सबसे अच्छा हो सकता है - और, यह स्पष्ट है कि मंत्रालयों में स्ट्रेटजिक और परिचालन सहक्रिया उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

संपूर्ण सरकारी प्रयास अनुकूलता (क) सभी उन्नत किस्मों, मूल्यवर्धन और पैकेजिंग के लिए आर एंड डी (ख) एक अच्छे मानकों के नियम की स्थापना, (ग) भारतीय उत्पादों द्वारा सामना किए जाने वाले स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाध्यताएं (टीबीटी) बाधाओं के लिए समग्र प्रतिक्रिया, (घ) उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए जीतने वाले क्षेत्रों और रणनीतियों की पहचान से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी । इन मुद्दों को रणनीतियों के परिचालन भाग में विस्तृत में वर्णित किया गया है।

5.4 **कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी**

वर्ष 1919 से, जब मोंटफोर्ड सुधार ने इसे 'प्रांतीय' विषय घोषित किया, तो भारत में कृषि ने राज्य का विषय होने और आजादी के बाद भेद भाव पूर्ण का लिया , जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया तो यह " राज्य" विषय बन गया। जहॉ केंद्र सरकार निधि की सलाह दे सकती है

और आवंटित कर सकती है, वहॉ कृषि और बाजार आधारभूत संरचना सुधारों का उचित कार्यान्वयन राज्य सरकार के आदेश पर होता है।

प्रत्येक राज्य की हमेशा अपनी प्राथमिकताएं, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताएं और कृषि बारीकियॉ होती है, जिसे वे देश के सर्वोच्च लक्ष्य के साथ संरेखित करने का प्रयास करते हैं। दरअसल, प्रत्येक राज्य में एक अलग (और अक्सर एकाधिक) कृषि-जलवायु क्षेत्र होता है जो अलग-अलग फसल पैटर्न के लिए अग्रणी होता है और वे प्रत्येक प्रकृति की अतिशय अनियमितता से पीड़ित होते हैं; भारत के एक हिस्से में सूखे हो सकता है जबकि दूसरा बाढ़ से निपट रहा होता है। इसके अलावा, "व्यापार और वाणिज्य" सेंध सूची में हैं और राज्य अक्सर देश के कृषि निर्यात में खुद के लिए कोई औपचारिक भूमिका नहीं देखते हैं।

राज्य के स्तर पर कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

5.4 **क कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल राज्य विभाग / एजेंसी की पहचान** : कई राज्य में , या तो उद्योग विभाग , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग या वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को निर्यात संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में अभिज्ञात किया गया और इसके परिणामस्वरूप कृषि निर्यात के संबंध में फोकस नहीं हो पाया। राज्य के निर्यात की क्षमता और स्वायत्त निकायों के साथ उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता, या तो एक राज्य सरकार को एक विभाग/एजेंसी कृषि निर्यात के लिए एक नोडल निकाय के रूप में घोषित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य कृषि उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड , गुजरात में गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड इत्यादि निर्यात को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और ऐसे संगठनों को कृषि निर्यात संवर्धन के लिए नोडल निकाय के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसी नोडल एजेंसी का कार्य हितधारकों से जुड़े रहना होगा, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक बाधाओं की पहचान करना होगा, निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के भीतर विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करना, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं की पहचान करना और राज्य सरकारों के लिए आवंटन को अधिकतम करना, विदेशों से हो रही खरीदारों द्वारा राज्य स्तर पर व्यवस्थित रिवर्स खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन करवाना, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के राज्य स्तर पर निर्यातकों को प्रोत्साहित करने, आदि शामिल हो। वे एसपीएस और टीवीटी मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच गतिशील और कार्यात्मक सूचना साझा प्रणाली बनाने के लिए भी कार्य करेंगे। डीओसी क्षमता निर्माण, राज्य स्तर पर ऐसी नोडल एजेंसी को समर्थन करने और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

5.4 **ख राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यात का समावेशन**: कई राज्य सरकारों ने निर्यात नीति बनाई हैं और कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। एपीएमसी अधिनियम में नीति परिवर्तनों के लिए दबाव डालने, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन के लिए पिंजरे की परंपरा हेतु नीति बनाना, अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) / इंडगैप को बढ़ावा देने, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली पर काम करने, अतिरिक्त मूल्य वर्धन के लिए पूर्व और फसल पश्चात अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए योजना बनाने, मूल्य संवर्द्धन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आदि को बढ़ावा देकर राज्य के निर्यात नीति के भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पाद विशिष्ट समूह विकसित करने का एक प्रयास आपूर्ति संबंधी विभिन्न मुद्दे जैसे मिट्टी के पोषक तत्व प्रबंधन, उच्च उत्पादकता, फसल की बाजार उन्मुख विविधता को अपनाना, अच्छी कृषि प्रथाओं आदि का उपयोग करने में सहायता करेगा। किसानों के साथ प्रोसेसरों / निर्यातकों का एकीकरण बेहतर रिटर्न और स्थिर बाजार सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकारें इस तरह के समूहों जिनमे निर्यात कीउच्च क्षमता है की पहचान करने और उन समूहों से निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर सकते हैं।

5.4 **ग कृषि निर्यात की सुविधा के लिए अवसंरचना और संभार तंत्र** : निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में राज्य की क्षमता का आकलन और अवसंरचना निर्माण का समर्थन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, तटीय राज्यों में, आर्ट फिश लैंडिंग सेंटर, उच्च गुणवत्ता वाले मछली पकड़ने के बंदरगाह, पूर्व प्रसंस्करण सुविधाओं आदि का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह, विकारी खाद्यों के लिए शीत श्रृंखला सुविधाओं की श्रृंखला बनाना, विशिष्ट बाजारों में निर्यात को सक्षम करने के लिए वाष्प ताप उपचार और विकिरण सुविधाएं बनाना आदि कुछ उपाय हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किया जाना आवश्यक है। संभार तंत्र से संबन्धित मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की की आवश्यकता है जैसे कई एयर कार्गो कंपनियाँ अधिकांश अग्रणी भारतीय एयरपोर्टों जो कार्गो का कार्य भार संभालते है में लैंडिंग कार्यक्रम की अनुपलब्धता के कारण अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में असक्षम हैं। इसी प्रकार लैंडिंग शुल्क / पार्किंग शुल्क और एटीएफ ईंधन पर कम शुल्क को कम करने से मुझे ताजा / अत्यधिक विकारी खाद्यों / संसाधित कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए लागत प्रभावी होगा। अवसंरचना संबंधी बाधाओं, संभारतंत्र से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और फिर उन क्षेत्रों की जो निजी निवेश / एफडीआई और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं जहां सरकार को निवेश करना है की पहचान करना, के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एक समेकित प्रयास की आवश्यकता है। अच्छे राजस्व मॉडल के साथ आईसीडी / सीएफएस निजी क्षेत्र में विचार किया जा सकता है जबकि शीत श्रृंखला संभार तंत्र, गोदाम, रेल और सड़क अवसंरचना इत्यादि को सार्वजनिक वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। अवसंरचना अंतराल पर

एक स्पष्ट कार्य योजना ऐसे अवसंरचना के लिए संसाधनों की पहचान करने के लिए। राज्य और केंद्र सरकार को सक्षम करेगी।

सरकार ने कृषि क्षेत्र को निर्बाध, गुणवत्ता और किफायती बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास किया है। विभिन्न उपायों जैसे कृषि मांग साइड प्रबंधन योजना (AgDSM), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी के लिए बिजली और शीत भंडारण इंडस्ट्रीज, कुसुम सौर ऊर्जा दोहन ग्रामीण भारत योजना सेस्थिति में सुधार हुआ हैं। कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना का समर्थन करने के लिए देश में बिजली की अनुकूल स्थिति का उपयोग किया जा सकता है।

5.4 **घ निर्यात के समर्थन के लिए संघ स्तर, राज्य स्तर और समूह स्तर पर संस्थागत प्रणाली** : कृषि निर्यात नीति विभिन्न राज्यों द्वारा मॉडल की जांच कर सकती है और कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में कुछ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का सुझाव दे सकती है । कृषि, बागवानी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, और वाणिज्य एवं उद्योग आदि जैसे विभाग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, चाय, कॉफी, मसाले और राज्य स्तर पर इन उत्पादों के मूल्य संवर्धन से संबंधित उत्पादन और बाद में समस्याओं का प्रबंध देखभाल करते हैं। कुछ राज्यों में, मुख्य सचिव या कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समितियां निर्यात संवर्धन के उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों और डीजीएफटी, सीमा शुल्क और स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय करने में प्रभावी काम कर रही हैं ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्त निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एम्पीडा) , निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड ,चाय बोर्ड ,रबड बोर्ड,तंबाकू बोर्ड विभिन्न निर्यात संवर्धनपरिषदें(ईपीसी), सीमा शुल्क , वनस्पति/पशु संगरोधन द्वारा समर्थित राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति राज्य स्तर पर इस उद्देश्य के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान कर सकता है।

इसी प्रकार केंद्र सरकार के स्तर पर एक संस्थागत तंत्र कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता और डीएसी और एफडब्ल्यू, डीएएचडीएफ, डीएआरई/आईसीएआर,डीओसीए, डीएफपीडी एमओएफपीआई, एफएसएसएआई, डीजीएफटी सीमा शुल्क एवं और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली एक समिति तिमाही आधार पर बैठक करेंगे जिससे प्रयासों / योजनाओं के अभिसरण की सुविधा होगी, नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर सुझाव देंगे। सभी संबंधित विभागों, संगठनों और राज्य सरकार द्वारा डिलिवरेबल्स पर अनुवर्ती करने के लिए एमओसी में एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाना

है। भूमिकाओं और जिम्मेदारी की उचित पहचान के साथ कार्यवाही कदम निगरानी कक्ष द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

एफ या समूह विकास कार्य की निगरानी के लिए, नोडल कलेक्टर के तहत कल्स्टर सुविधाकरण सेल / निदेशक (कृषि)/बागवानी (मत्स्य पालन) द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले समूह सुविधा ढांचे का भी प्रस्ताव है। निर्यातकों, संभावित निर्यातकों, किसानों की उत्पादक कंपनियां, उत्पादक सहकारी, पंचायत / डीएवाई-एनआरएलएम इत्यादि समूह स्तर समिति महत्वपूर्ण हितधारकों में हैं। उपर्युक्त हितधारकों और संबंधित विभागों को शामिल करके नोडल कलेक्टरों/निदेशकों के स्तर पर त्रैमासिक बैठक समूह को उत्पादकता में वृद्धि, निर्यात योग्य वस्तु की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। किसानों के उत्पादकों के संगठनों, किसानों के सहकारी समितियों को निर्यात मूल्य श्रृंखला में जोड़ने, बुनियादी ढांचे के निर्माण, समूहों में प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों को जोड़ने के माध्यम से शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर निम्नलिखित समाधान भी किए गए हैं।

(क) <u>अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उद्योग निकायों / संघों को प्रोत्साहित करें</u>

विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न निकायों को नए बाजारों तक पहुंचने और मौजूदा बाजारों में समेकित करने के सुझाव देने में अधिक सक्रिय होना चाहिए।

(ख) <u>आर एंड डी में उद्योग की बड़ी भागीदारी</u>

विभिन्न शोध संगठनों और उद्योग निकायों के बीच अधिक बातचीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो शोध निकायों को उद्योग विशिष्ट आवश्यकताओं पर काम करने में सक्षम बनाएंगे।

6. **परिचालन सिफारिशें**

6.1 **क्लस्टर्स पर ध्यान केंद्रण**

2018-19 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने भारत में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समूह विकास प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्पादन की फसल पूर्व एवं पश्चात प्रबंधन के साथ ही आपूर्ति श्रृंखला के उन्नयन के उन समूहों से निर्यात की बहुत उच्च स्तर पाने के लिए - केंद्रित समूहों निर्यात में एक समान दृष्टिकोण एक और अधिक ध्यान केंद्रण ?, पहले और बाद में परिणाम की संभावना है।

चुनिंदा उपज के लिए ब्लॉक स्तर पर गांवों के समूह के भीतर समूह उद्यम (समूह) के रूप में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए छोटे और मध्यम किसानों की प्रभावी भागीदारी और जुड़ाव के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने और स्थापित करने की आवश्यकता है। यह पूरे मूल्य श्रृंखला के माध्यम से अपनी आय को दोगुना करने के लिए कृषि समुदाय के वास्तविक लाभ प्राप्त करने और सशक्तिकरण में मदद करेगा।

बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए आयात मांगों से मेल खाने वाले मानक मानकों के साथ एक ही किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन की महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में छोटे भूमि अधिग्रहण पैटर्न और किसान की कम जागरूकता का अर्थ अक्सर कई फसलों की विभिन्न किस्मों की सीमित मात्रा के साथ कम या कोई मानकीकरण नहीं है। राज्यों में निर्यात उन्मुख समूह विकास मानक मांगों को पूरा करने वाले मानक भौतिक और गुणवत्ता मानकों के साथ अधिशेष उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसी योजना की सफलता राज्य सरकारों के अवसंरचना पर निर्भर करेगी। अतः यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार राज्य अवसंरचना को सुदृढ़ करकेराज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है और बढ़ावा देती है:

उपयुक्त उत्पादन समूह की पहचान करना
किसान पंजीकरण का संचालन करना
भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन
किसान निर्माता संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

घरेलू कारक निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जिसमें प्रौद्योगिकी, व्यापार सरलीकरण , अवसंरचना, संभारतंत्र , विनियम,संस्थानें, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और फसलपूर्व सहित आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में निजी व्यापार में सहभागिता शामिल है । यह सिफारिश की गई है कि इस योजना के निजी निर्यातकों जो एक प्राकृतिक प्रोत्साहन के रूप में समूहों को बढ़ावा देंगे, के साथ साझेदारी में लागू किया जाना चाहिए । यह आशा की जाती है कि कृषि निर्यातों में निजी क्षेत्र के अधिकाधिक शामिल होने से फोकस, बेहतर सामन्जस्य और निर्यातान्मुख उत्पादन लाएगा।

किसान उत्पादक संगठन संस्थागत नवपरिवर्तन है जो छोटे जोतदारों की पैमाने पर नुकसान से उबरने से और आधुनिक प्रौद्यगिकी एवं दूरस्थ बाजारों में उनकी पहुँच बढ़ाने में सहायता करते हैं। नया एईपी एफपीओएस द्वारा सामना की जा रही नीतिगत बाधाओं का समाधान करेगा और एफपीओ नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नाबार्ड, एसएफएसी एवं राज्य स्तर के संगठनों के जरिये कार्य करेगा।

इन समूहों के सफल कार्यान्वयन के अधीन, कृषि निर्यात क्षेत्र (एईजेड) में एक अंतर को मूल्यवर्धन, सामान्य सुविधा निर्माण और ऐसे क्षेत्रों से उच्च निर्यात की सुविधा के बारे में सोचा जा सकता है। एईजेड की स्थापना और कार्य करने की पद्धति डब्ल्यूटीओ संगत तरीके से कदम उठाए जाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों के लिए तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर माल के उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। भारत में कई सफल विशेष क्षेत्र जैसे आईटी, कपड़ा, फार्मा और कुछ बहुक्षेत्रीय होते हुये स्थापित है।कृषि निर्यात एसईजेड के विकास के अवसर हैं जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ देश जो अधिकांशतः कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भर हैं के लिए मूल्य वर्धित कृषि वस्तुओं का उत्पादन करना है। कुछ देशों (अनाज,सब्जियों एवं फलों की घरेलू उपलब्धता में पर्याप्त अंतर वाले) के हित उस देश के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात एसईजेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने हेतु पता लगाया जा सकता है कुछ देशों द्वारा पूर्णतया वापसी खरीद व्यवस्था हो सकता है जो एफडीआई ला रहे हैं जिसके द्वारा भारतीय निर्यातों के लिए एक स्थिर बाजार का प्रावधान हो रहा है।

पणधारियों ने क्लस्टरों के विकास के जरिये निर्यातोन्मुख बागवानी उत्पादन हेतु एक कोष के सृजन की सिफारिश की है। यह मानकीकृत, उत्तम गुणवत्ता निर्यातों की मात्रा बढ़ाने में प्रमुख कुंजी होगा।

कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में, निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित अनन्य उत्पाद-जिला क्लस्टरों की पहचान की गयी है। किसी उत्पाद/क्लस्टर की पहचान निर्यातों,निर्यातक परिचालकों को योगदान करने वाले मौजूदा, उत्पादन, परिचालनों की मापनीयता, निर्यात बाजार का आकार/भारत का हिस्सा, एसपीएस अपेक्षाओं के बारे में जागरूकता और लघु अवधि में निर्यात में वृद्धि लाने के लिए क्षमता के आधार पर होती है।
नीचे दिये गए कलस्टरों की सूची अंनतिम है और इसका विस्तार किया जा सकता है बशर्ते क्लस्टर गठन की शर्ते पूरी है ।

उत्पाद	क्षेत्र	राज्य	जिला
केला	दक्षिण	केरल	त्रिशूर, वायनाड, तिरुवनंतपुरम
		आंध्र प्रदेश	कडप्पा, अनंतपुर
		तमिलनाडु	त्रिची, तेनी, पोलाची
	पश्चिम	महाराष्ट्र	जलगांव, कोल्हापुर, सोलापुर
		गुजरात	भरूच, नर्मदा, सूरत
अनार	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, कुरनूल
		कर्नाटक	बेलगाम, मैसूर

उत्पाद	क्षेत्र	राज्य	जिला
	पश्चिम	महाराष्ट्र	सोलापुर, अहमदनगर, पुणे
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर
आम	पश्चिम	महाराष्ट्र	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
		गुजरात	जुनागढ़, वलसाड, कच्छ, नवसारी
	उत्तर	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ
	दक्षिण	तेलंगाना	रंगरेड्डी, मेहबूबनगर, वारंगल
		आंध्र प्रदेश	कृष्णा, चित्तूर, कुरनूल
अंगूर	पश्चिम	महाराष्ट्र	पुणे, नासिक, सांगली
गुलाब प्याज	दक्षिण	कर्नाटक	बैंगलोर ग्रामीण, चिककाबल्लपुरा
प्याज	पश्चिम	महाराष्ट्र	नासिक
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, सागर, दमोह
आलू	उत्तर	उत्तर प्रदेश	आगरा, फारुकबाद
		पंजाब	जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवशेहर
	पश्चिम	गुजरात	बनसकंथा, सबारकंथा
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर
चाय	पूर्व	असम	तिनसुकिया, सिब्सगर, डिब्रूगढ़
कॉफ़ी	दक्षिण	कर्नाटक	चिकममागलुरु, कोडागु, हसन
समुद्री	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमगोदावरी, नेल्लोर
	पूर्व	ओडिशा	जगत्सिंहपुर, भद्रक, बालासोर
	पश्चिम	गुजरात	कच्छ, वेरावल, नवसारी, वलसाड
मिर्च	दक्षिण	तेलंगाना	खम्मम, वारंगल
		आंध्र प्रदेश	गुंटूर
हल्दी	दक्षिण	तेलंगाना	निजामाबाद, करीमनगर
		केरल	वायनाड, एलेप्पी
	पूर्व	मेघालय	वेस्ट जेंतिया हिल्स
	पूर्व	ओडिशा	कंधमाल
जीरा	पश्चिम	गुजरात	बनसकंठा, मेहसाणा
	उत्तर	राजस्थान	जलोरे, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली
मिर्च	दक्षिण	केरल	वायनाड

उत्पाद	क्षेत्र	राज्य	जिला
	दक्षिण	कर्नाटक	चिकमंगलूर
इलायची	दक्षिण	केरल	इडुक्की
इसबगोल	उत्तर	राजस्थान	जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर
रेंड़ी	पश्चिम	गुजरात	बनसकंठा, कच्छ, पाटन, साबरकंठा, मेहसाणा

एपीडा, एम्पीडा, ईआईसी एवं अन्य वस्तु बोर्ड किसान पंजीकरण, एफपीओ गठन, गुणवत्ता युक्त निविष्टियों का प्रावधान, मूल्य खोज, तकनीकी संगठन एवं तीसरा पक्ष प्रमाणन के जरिये किसानों का प्रशिक्षण से आपूर्ति श्रृंखला प्रारंभ करते हुए स्वामित्व हेतु ढांचा का प्रावधान करेंगे। कार्यान्वयन में राज्य कृषि/बागवानी/मत्स्य पालन विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एकीकृत कृषि विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी-आईएडी) स्कीम के साथ संयोजित किया जा सकता है क्योंकि निजी उद्योग की भागीदारी बाजार सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

अभिज्ञात अवसंरचना विकसित करने पर फोकस हेतु प्रयास होंगे जहां मानकीकृत प्रोटोकोल, पैकेजिंग के अनुपालन में स्वच्छता और पादप स्वच्छता मुद्दों तथा मार्केटिंग चैनल अगले स्तर तक इसे लिंकिंग एवं नेटवर्किंग निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण लाने के लिए एमओएफपीआई पीएमकेएसएएमपीएडीए/ डीओसी (टीआईईएस) /डीएसी एंड एफडब्लू (एमआईडीएच) / डीएएचडीएफ (आईडीएमई) आदि से सहायता के साथ एकीकृत फसल पश्चात, प्रसंस्करण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं आदि स्थापित की जाएगी ।

अभिज्ञात क्लस्टरों में स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथा साझा करने,कीट प्रबंधन हेतु मोबाइल एप्प का इस्तेमाल, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, लेजर लैण्ड लेवेलर्स, प्रोपेल्ड स्प्रेयर्स,प्रेसीजन सीडर्स एवं प्लान्टर्स, सीडलिंग्स हेतु ट्रान्सप्लान्टर्, मल्टी थ्रेसर आदि जैसे क्षेत्र में नये प्रौद्योगिकियों की निगरानी एवं अंगीकरण हेतु ड्रोनों का उपयोग के लिए भी प्रयास किये जायेंगे । बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों और जल के उचित उपयोग पर नवीनीकृत फोकस की आवश्यकता है जो सिंचाई के तहत क्षेत्र को दोगुना कर सकता है।

6.2 मूल्य वर्द्धित निर्यातों को बढ़ावा देना

6.2 क. स्वदेशी वस्तुओं एवं मूल्य वर्द्धन हेतु उत्पाद विकास

यह प्रस्ताव है कि कृषि निर्यात नीति का फोकस मूल्यवर्द्धित, स्वदेशी एवं जनजातीय उत्पादों के संवर्धन में होगा । जैसा कि पर्वूवर्ती खण्डों में रेखांकित किया गया है, भारत के निर्यात बास्केट में कम अथवा बिना किसी प्रसंस्करण अथवा मूल्य वर्द्धन के उत्पादों की बहुलता है।

पणधारियों ने स्वदेशी श्रेणी में अभिज्ञात की गई पण्य वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की है जिसमें गैर-वन उत्पाद, जंगली जड़ी बूटी, औषधीय पौधे, अर्क, लाह, ईथर का तेल आदि शामिल है। इसमें मजबूत ब्रैण्डिंग प्रयासो के साथ निर्यातयोग्य उत्पाद विकसित करने के लिए गहन निर्यात केन्द्रित अनुसंधान की आवश्यकता होगी।

पणधारियों ने मूल्य वर्द्धित उत्पादों पर विकास एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया है उदाहरण के लिए काजू के लिए मूल्य वर्द्धित रूप में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है जैसे काजू सेब जैम एवं पेस्ट, स्वादिष्ट काजू आदि । वर्तमान में,4 प्रतिशत से कम काजू निर्यात मूल्य वर्द्धित रूप में हैं (सीएनएसएल, रोस्टेड/साल्टेड नट्स) उद्योग का आकलन सुझाता है कि निर्यातों की कुछ मात्रा उन देशों को जाती है जो सीमित मूल्य वर्द्धित संचालिनत करते है और इसे पुन: निर्यात करते हैं।

कुछ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर एक प्रारंभिक प्रयोग से निम्नलिखित का पता चलता है:

उत्पाद	**निर्यात का वर्तमान स्तर**	**अगले 3 वर्षों में प्रक्षेपित निर्यात**	**संभावित बाजार**
बिस्कुट और कन्फेक्शनरी	185 मिलियन अम.डा.	350 मिलियन अम.डा.	अंगोला, यूएसए, हैती, नामीबिया, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, केन्या
भारतीय स्थानिक खाद्य पदार्थ	114 मिलियन अम.डा.	200 मिलियन अम.डा.	यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल
अनाज से बने खाद्य पदार्थ	471 मिलियन अम.डा.	800 मिलियन अम.डा.	यूएसए, बांग्लादेश, यूके, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला

निर्जलित प्याज खीरा सहित , अन्य सब्जियां और जमी हुई सब्जियां	207 मिलियन अम.डा.	400 मिलियन अम.डा.	यूएसए, जर्मनी, बेल्जियम, रूस, फ्रांस
प्रसंस्कृत फल- रस, सारकृत द्रव्य	338 मिलियन अम.डा.	600 मिलियन अम.डा.	सऊदी अरब, नीदरलैंड, यमन, यूके, यूएसए, अल्जीरिया, केन्या

6.2 ख. मूल्य वर्द्धित कार्बनिक निर्यातों को बढ़ावा देना:

वर्तमान में, भारत से आर्गेनिक निर्यातों का रेंज 3450 करोड़ रू. (2017-18) है। आर्गेनिक उत्पादों में वैश्विक व्यापार का आकलन 80 बिलियन अम.डा.के रेंज में है। अतएव, आर्गेनिक निर्यातों विशेषकर, भारत से मूल्य वर्द्धित आर्गेनिक में सुधार लाने हेतु स्कोप काफी अधिक है। राष्ट्रीय आर्गेनिक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत निर्यातों हेतु अच्छी संभावना वाले उत्पादों की नई श्रेणियां जैसे पशुपालन मत्स्य पालन को शामिल किया गया है। इससे मूल्य वर्द्धित आर्गेनिक निर्यातों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, भारत से निर्यात किये जाने वाले मूल्य वर्द्धित वस्त्रों में वृद्धि लाने के लिए आर्गेनिक वस्त्र संबंधी मानकों को भी शामिल किया जा सकता है।

वर्तमान में भारत से आर्गेनिक प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात का प्रतिशत कुल आर्गेनिक खाद्य निर्यात का सिर्फ 5.5 प्रतिशत है। सिर्फ उत्पादों का एक सीमित रेंज (आम का गुदा, भरता,तेलीय फसलों का उप-उत्पाद, सोया मील, केक और कुछ तैयार खाद्य उत्पाद। और एकल प्रसंस्कृत उत्पाद जैसी चीनी, चाय,खाद्य तेल,कॉफी एवं ईथर तेल का भारत से निर्यात किया जाता है। भारत मूल्य वर्द्धित फलों एवं सब्जियों, आईक्यूएफ फलों एवं सब्जियों ,खाने हेतु तैयार उत्पादों, आचार, सूप एवं सांस , दुग्ध उत्पाद,प्रसंस्कृत पशु मत्स्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद आदि की एक संपर्ण रेंज का निर्यात कर सकता है । मूल्य वर्द्धित निर्यातों के संवर्धन के लिए पणधारियों द्वारा साझा किये गय कुछ विचार निम्नलिखित है:

आर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग एंव ब्रैण्डिंग

आर्गेनिक निर्यातकों ने सुझाव दिया है कि खुदरा बाजार परियोजना पूरी होने की अवधि लंबी है और प्रारंभ करनेकी लगत बहुत अधिक है। उत्पाद पंजीकरण हेतु सहायता आर्गेनिक खुदरा श्रृंखला आदि से सेल्फ स्पेस खरीदने हेतु सहायता निर्यातकों द्वारा शुरू किया गया है।

एनपीयूपी के कार्यान्वयन हेतु नोडल संगठन भारत से आर्गेनिक निर्यातापें को बढ़ाने के लिए अपेक्षित समन्वय प्रारंभ करेगा।

आर्गेनिक और जातीय उत्पादों के लिए समान गुणवत्ता एवं पैकेजिंग मापदण्डों का विकास करना।

विकसित देशों से विशेषकर दुनिया से प्रवासी भारतीय आबादी से आनेवाली मूल्य वर्द्धित, खाने हेतु तैयार और जातीय खाद्य हेतु बढ़ती हुई मांग है। वैश्विकरण और जीवन शैली रोग के युग में, दुनियाभर के गुणवत्ता के प्रति जागरूक उपभोक्ता अपने भोजन में आराम, राहत एवं स्वास्थ्य लाभ की मांग कर रहे हैं। भारत एक समाधान आफर कर सकता है और स्वस्थ्य और आर्गेनिक से लेकर प्रसंस्कृत एवं सुविधाजनक भोजन तक जातीय उत्पादों की रेंज प्रदान करना है। यह उद्यमियों हेतु हमारे परम्परागत भोजन विरासत का लाभ उठाने के लिए और स्वाद पैकेजिंग, मिश्र भोजन और योजन के शेल्फ जीवन में नवाचार में निवेश करने हेतु उत्कृष्ट अवसर है।

भारत का 5000 वर्ष पुराना परम्परागत आयुर्वेदिक भोजन प्रणाली एक संभावित खेल परिवर्तक की भूमिका निभा सकता है । हल्दी का विश्व विख्यात धाव चिकित्सा के गुण, परम्परागत भारतीय ज्ञान से उपजा है। योग के निर्यात तरह ही, इस परम्परागत ज्ञान को विश्व को पहुंचाना चाहिए और उत्पादों का विपणन अनिवार्य रूप से होगा। निरंतर बढ़ने वाले पौस्टिक औषधीय बाजार हेतु भारतीय आयुर्वेद प्रोस्पेक्टिव है।

- नमकीन बनाना परिक्षण की कला है जिसे भारतीयों ने खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु आधुनिक आर एंड डी प्रयासों से पहलू ही महारत हासिल की थी।
- मसूर की दाल, चावल (पोहा) की अनेक किस्मों के साथ पकाने हेतु तैयार/खाने हेतु तैयार बिरयानी,चिकन टिक्का मसाला, कबाब, समोसा और पराठे विश्व भर में लोकप्रिय हैं।
- नमकीन /स्नैक्स जैसे मुरूक्कू एवं दाल मोट प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है जो पश्चिम में वसायुक्त नाश्ते का स्थान ले सकते हैं ।
- एमएआरकेएफईडी यूएस, यूएई एवं कनाडा जैसे देशों में सरसो दा साग जैसे ब्रैण्डेड डिब्बाबंद भारतीय व्यन्जन की भारी मात्रा का निर्यात करने में सफल रहा है । इसी तरह, विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रियव्यन्जन विदेशों में भारीमात्रा में विपणन किये जा सकते हैं।

तथापि, भौतिक और गुणवत्ता पैरामीटरोंके मानकीकरण को व्यापक रूप से असंगठित,जातीय खाद्य उद्योग में कुछ हद तक उपेक्षा किया गया है । ब्रैण्डिंग अभियानों से अलग, जातीय व्यन्जनों के संवर्धन में पैकेजिंगएवं गुणवत्ता प्रोटोकालों के मानकीकरण और विकास की

आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए पनीर एवं रसगुल्ला का निर्यात कम शेल्फ लाइफ, कठिन सैम्पलिंग और अत्यधिक समय सीमा से ग्रस्त है घटा दिया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर में आर्गेनिक उत्पाद

हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त आर्गेनिक उत्पाद उपलब्ध हैं, इन उत्पादों का निर्यात नहीं हो रहा है। निर्यात प्रारंभ करने के उद्देश्य से, विशेषकर पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'अमूल'-स्टाइल सहकारी समितियों के विकास की आवश्यकता है। यह क्षेत्र से उत्पादों के लिए खरीद और अच्छा वितरण नेटवर्क में अनुशासन लायेगा। ऐसी सहकारी समितियों उत्पादों का,ग्रेडिंग / छंटाई/जांच प्रारंभ कर सकती है जिसे आगे बेचा अथवा संसाधित किया जा सकता है।

6.2 ग. आने वाले बाजारों के लिए नये उत्पाद विकास हेतु आर एंड डी क्रियाकलापों का संवर्धन : खाद्य उत्पादों की किलाबंदी बच्चों में कुपोषण और आहार में प्रमुख विटामिनों/खनिजों की कमी की वजह से रोगो को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, स्वास्थ्य लाभों (ग्लूटेन मुक्त, सुपर अनाज, स्टार्च मुक्त आदि) के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थो के विकास में दिलचस्पी बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में बहुत सारे मोटे अनाज सहित नये सुपर भोजन हेतु मांग बढ़ रही है। भारत के जनजातीय पाकेटों और मोटे अनाजों की छोटी परंतु ठोस उत्पादन को देखते हुए, भारत से निर्यातों को बढाने हेतु महत्वपूर्ण क्षमता है। घरेलू बाजार हेतु पौष्टिक उत्पादों के संबंध में एफएसएसएआई से मापदण्ड सूचित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उच्च निर्यात होंगे।

6.2 घ. कौशल विकास: जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बाजारों को पण्य - वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है जो आगे मूल्यवर्द्धन करते हैं और उत्पाद पर उच्च रिटर्न वसूल करते हैं। भारत वियतनाम को फ्रोजेन श्रिम्प का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वियतनाम में उपलब्ध कुशल मानवशक्ति के साथ,महत्वपूर्ण मूल्य वर्द्धन किया गया और गंतव्य बाजारों को पुन:निर्यात किया गया है। भारत के पास उन्नत प्रसंस्करण संयंत्र, उच्च गुणवत्ता प्रणाली के होते हुए, मूल्य वर्द्धित उत्पादों के निर्यात में अधिक प्रगति करने में असमर्थ रहा है। कौशल विकास सुविधाओं/कार्यक्रम का अभाव प्रणाली में खामियों में से एक कहा जा सकता है।

बदलते हुए उपभोक्ताओं की पसंद के साथ कदम मिलाते हुए नियमित आधार पर कौशल विकास अवसरों के साथ कार्य बल प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्य बल के अलावा, विभिन्न भोजन प्रोससरों का क्षमता विकास विशेषकर एमएसएमई एवं असंगठित खण्डों से, विदेशी बाजारों और वैश्विक कृषि - व्यवसाय मूल्य श्रृंखला पकडने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के

लिए आवश्यक है । एक अलग मंत्रालय की स्थापना के साथ कौशल विकास पर भारत सरकार के फोकस के साथ, कौशल विकास अहम स्थान ग्रहण करेगा।

6.3 ' भारत के उत्पाद' का विपणन एवं संवर्धन

पणधारियों ने आर्गेनिक , मूल्य वर्द्धित, जातीय, जीआई, क्षेत्र विशिष्ट एवं ब्रैण्डेड उत्पादों के लिए समर्पित एक अलग से कोष गठित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी सिफारिश किया कि व्यक्तिगत फलों अथवा उत्पादोंजैसे 'वण्डरफुल पोम' और ' बनानास आफ इण्डिया' हेतु मार्केटिंग अभियान सृजित किये जायें। इस कोष का उपयोग मुख्यतया प्रमुख लक्षितबाजारों में ब्रेण्डिंग ब्लिज के रूप में निनंतर संचार के लिए किया जाएगा । यह दोनों डिजिटल एवं परम्परागत मीडिया मंचों का उपयोग करेगा।

सरकार लक्षित जीआई पंजीकरण,पणधारी वार्ता और जीआई टैग के संरक्षण के लिए अपने पुख्ता प्रयास जारी रखेगी। हमारे अनन्य उत्पादों के जीआई में विज्ञापन बढ़ाने और निवेश करने के द्वारा ' मेक आफ इण्डिया' के रूप में हमारे उत्कृष्ट उत्पादों के मार्केटिंग से हमारे निर्यातों में तेजी से वृद्धि होगी। लक्षित बाजारों में उत्पाद पंजीकरण करनेके लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाना है।

क्षेत्र विशिष्ट कृषि /प्रसंस्कृत उत्पाद भारतीय प्रवासियों के बीच लोक प्रिय हैं और यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो आयातक देश के नागरिकों के पैलेट में भी स्थान प्राप्त कर सकता है। उदाहरा के लिए बिहार से मखाना, आगरा पेठा, हैदराबादी बिरयानी लोक प्रिय हैं और उनकी अलग पहचान है। इसके अलावा मूल्य वर्द्धित उत्पाद जैसे 2-3 दिनों की शेल्फ लाइफ के साथ भारत के जातीय भोजन का उत्पादन किया जा सकता है और जीसीसी एवं आसियान सुपर मार्केटों में प्रतिदिन एयर से ढुलाई की जा सकती है।

वाणिज्य विभाग आकलन तैयार करने की के लिए पणधारियों के साथ कार्य करेगा और ऐसी मार्केटिंग अभियान के कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले को उठायेगा।

विश्व में सहकर्मी देशों और सर्वोत्तम देशों के साथ कृषि निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों की बेंच मार्किंग सार्थक होगी। पणधारियों द्वारा अक्सर उद्धृत किये गये उदाहरणों में से एक मलेशिया में किया गया परीक्षण है। मलेशिया ने 'मलेशियाज बेस्ट' नामक एक पण्य वस्तु ब्रैण्डिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश के बागवानी उत्पादों के लिए यह एक समूहगत ब्राण्ड है जो मलेशियाई मापदण्डों और मलेशियाई उत्तम कृषि प्रथा प्रणाली के अनुसार गुणवत्ता एवं सुरक्षा की गारंटी देता है। यह कारम बोला, पपीता,अनानास, आम और खरबूज के लिए प्रारंभ किया

गया था परंतु इसे अन्य सभी वस्तुओं के लिए विस्तारित किया जाना है । मलेशिया में सभी किसान प्रमाणित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि,प्रारंभ में अधिकतर प्रमाणित किसान, सुपर बाजारों में डिलीवरी के (एफएएमए) से अनुबंधित है। भारतीय आमों, अनानास, अनार, लिची, भारतीय चाय एवं कॉफी, भारतीय मसालों के लिए इसी तरह का अभियान निर्याता कें स्वायत निकायों एवं आईबीईएफ के संयुक्त प्रयासों के साथ प्रारंभ किया जा सकता है।

भारत देश के विभिन्न भागों में विभिन्न किस्म के कृषि उत्पाद का उत्पादन करता है। उत्पादन के इसके खण्डित प्रक्रति की वजह से, बड़े आदेशो को पूरा करने के लिए फार्म उत्पादन को संग्रह करता बड़े आकार की निर्यात कंपनियों के साथ भी कठिन हो जाता है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्रोतों के साथ उपलब्ध मौजूदा स्टाक का पता लगाने के लिए कोई सूचना तंत्र नहीं है। वर्तमान में भारतीय एजेंसियों निर्यात विकास की दिशा में विशिष्ट कार्य कर रही हैं। तथापि, आदेश समाप्ति के साथ विशिषीकृत क्षेत्र स्तर पर विपणन किसी एजेंसी द्वारा नहीं लिया जा रहा है।

एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों/कारीगर समूहों हेतु एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, कृषि निर्यात नीति में एक पोर्टल के विकास की संभावना का पता लगाने सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र के जरिये सभी विश्वसनीय एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों गुणवत्ता प्रमाणित निजी प्रोसेसरों और व्यापरियों को जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रयास में निर्यात लिंकेज के लिए कृषक सहकारी समितियों, उत्पादक सोसाइटियों आदि के प्रत्यक्ष लिंकेज के लिए ई-कामर्स मंच प्रदान करना शामिल है।

6.4 कृषि निर्यातों की सहायता के लिए अवसरंचना एवं संभारतंत्र

फसल कटाई पश्चात अवसंरचना कृषि उत्पाद के सुचारू संभारतंत्र संचलन की सहायता करता है । इससे गुणवत्ता का आश्वासन देते हुए और बेहतर मूल्य वसूली प्रति इकाई सुनिश्चित करते हुए निर्यात मात्रा बढाने में प्रत्यक्ष सह - संबंध होगा । कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

<u>बेहतर गुणवत्ता अनुपालन</u> : कृषि उत्पाद का फसल कटाई पश्चात प्रसंस्रकण , जैसे फलों की वैक्सिंग, मांस का विकिरण उपचार, खराब / क्षतिग्रस्त फलों/उत्पाद की छंटाई, उत्पाद की रोल्फ लाइफ को बढाएगा और सुदूर बाजारों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखनेमें सहायक होगा ।

<u>सुचारू संभारतंत्र हैण्डलिंग सुगम करता है:</u> उत्पाद के बेहतर हैण्डलिंग का आश्वासन देगा, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टेज में कमी आती है , बिक्री योग्य अधिशेष मात्रा में वृद्धिकरती है ।यह बेहतर मूल्य प्राप्ति (मूल्य एवं मात्रा दोनों के फायदे) भी उत्पन्न

करेगा, मात्रा हैंडलिंग क्षमताओं को बढाएगा जिससे सोर्सिंग /जलग्रहण क्षेत्र के विस्तार हेतु अवसर प्रदान करेगा । आयातक देशों में भण्डारण सुविधाओंसे जहां भारत कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है उस देश के लिए वर्तमान निर्यातों को बढानेमें सहायता देगा ।

<u>सुदूर बाजारों में विस्तार :</u> निर्बाध संभारतंत्र बेहतर गुणवत्ता एवं मात्रा हैंडलिंग क्षमता से सुदूर बाजारों में विस्तार के लिए अवसर आफर करेगा , शेल्फ लाइफ / उत्पाद का गुणवत्ता रखते हुए में सुधार लाएगा और भविष्य के निर्यात गन्त्वयस्थलों को कवर करने के लिए उच्च अवसर आफर करेगा । फोकस राज्यों से कृषिनिर्यातोंकीसहायता हेतु प्रस्तावित अवसरंचना में शामिल है :

पैक हाउस

- उत्पाद के ग्रेडिंग एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के जरिए गुणवत्ता का आश्वासन देने के द्वारा बिक्री योग्य अधिशेष में वृद्धि लाने में सहायता देगा ।
- छोटे फसल - पश्चात विंडोज में निर्यातों के लिए उत्पाद की बडी मात्रा पूरा करने की क्षमता प्रदान करेगा ।

प्रसंस्करण अवसंरचना

- कच्चे उपज के मूल्य वर्द्धन से सतत गुणवत्ता लंबा शेल्फ लाइफ और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी ।
- नये बाजारों में विस्तार करने और मौजूदा बाजारों में नये उपभोक्ता खण्ड पकडने हेतु खमता भी प्रदान करेगा।

शीत भण्डागार

- कम तापमान माइक्रोबायल और एंजाइमेटिक क्रियाकलाप को घटाता है, यह निरंतर कम तापमान का वातावरण प्रदान करने के द्वारा उपज की रोल्फ लाइफ को बढाएगा तथा निर्यातों के लिए बिक्री योग्य अधिशेष में वृद्धि लाएगा।
- बे- मौसम / पूरक - मौसम बाजारों में कब्जा जमाने में क्षमता भी प्रदान करेगा ।

निकास बिंदु अवसंरचना

- संभवत अधिकतम दूरी पर निर्बाध परिवेश तापमान श्रृंखला (शीत श्रृंखला/ठंडी श्रृंखला) का रखरखाव सुगम करता है ।
- निकास बिंदुओं से उपभोक्ता गेट तक यह सुनिश्चित करेन के लिए नाशवान कार्गो केंद्र , कंटेनर स्टफिंग के लिए कार्गो फ्रेट स्टेशन, रीफर कंटेनर , टीफर प्लग, स्कैनरर्स, बंदरगाहक्षेत्र आदि के आसपास कंटेनरोंको रखने के लिए सुविधाओं का प्रावधान ।

हवाई कार्गो

- अत्यधिक मूल्यवान कृषि उत्पादों ,ताजे एवं नाशवानों को हवाई कार्गो द्वारा भेजा जाता है । अवसंरचना जैसे नाशवान कार्गो हेतु केंद्र,लोडर्स, वैक्युम कूलिंग सुविधा, वर्क फ्लोर्स,

मोविंग ट्रक डाक्स, निर्दिष्ट एवं पर्याप्त नाशवान/पशु हैंडलिंग/ संगरोध क्षेत्र, पैलेट कंटेनर हैंडलिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट में स्वचालित गोदाम पुनप्राप्ति प्रणाली से हवाई कार्गो के जरिए निर्यात की क्षमता/लागत प्रभावशीलता में वृद्धि लाएगा ।

- कार्गो उद्देश्यों के लिए नये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की संभावना से मुबंई , दिल्ली आदि पर एयरपोर्ट से ट्रेफिक का बोझ कम करेगा ।

विदेश में बुनियादी ढांचा

- आयातक देशों में जहां भारत कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए अनिवार्य अवसंरचना सुविधाएं प्रतिस्पर्धियों पर बढत प्रदान करेगा । यह निर्यातकों को सतत आपूर्ति प्रदान करने, सूची बनाए रखने और वितरण लागतों को घटाने में सहायता करेगा।

वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्त निकाय और निर्यात संवर्धन परिषदें कृषि निर्यात सुगम करने हेतु अवसंरचना से संबधित कुछ लुप्त अंतरालों की पहचान करने और सेतु बनाने के लिए लाइन मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यातकों के साथ कार्य करेगा । विदेशों में भारतीय मिशनों को सुसज्जित किया जाना चाहिए और विभिन्न देशों में निर्यात की संभावनाओं पर जानकारी प्रदान करने और निर्यातों को सुकर बनाने में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

6.4 क. व्यवसाय करने में आसानी(ईओडीबी) एवं डिजिटलीकरण :

- फार्म स्तर- कृषक भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण , भू - क्षेत्रों का भौगोलिक मानचित्रण, कृषकों और फार्म उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पंजीकरण निर्बाधकृषि नीति के कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है । केंद्र सरकार काश्तकारी को औपचारिक रूप देने , भूमि रिकार्डों को पंजीकृत करने और इन विवरणों को किसान के आधार कार्ड से जोडने के दौरान भू - क्षेत्रों का सैटेलाइट मानचित्रण करने के लिए व्यापक अभिमान संचालित करने के लिए राज्यों के साथ कार्य कर रहा है । यह पता लगाने की क्षमता स्थापित करने, बाजार लिंकेजों और सार्वजनिक निधियों में रिसाव बंद करने में महत्वपूर्ण होगा । ऐसे डिजिटलकरण का सफल कार्यान्वयन निर्यातोन्मुख कृषि के लिए भूमि जोत का समेकन और एकत्रीकरण सुगम करेगा ।
- वाणिज्य विभाग में बाजार आसूचना प्रकोष्ठ एवं सूचना प्रसार के लिए पोर्टल

सभी क्षेत्रों के निर्यातकों द्वारा व्यापार एवं बाजार संबंधित सूचना की सुविधा के लिए एक समर्पित मंच की लगातार मांग की जाती रही है। हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रेड एनालिटिक्स पर एक पोर्टल का निर्माण किया है जो विभिन्न बाजारों में विभिन्न वस्तुओं के

लिए रूझान उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार, अपीडा एवं एमपीडा 'कृषि विनिमय पोर्टल' एवं 'मत्स्य विनिमय पोर्टल' का संचालन करते हैं जो क्रमश: उनके हितधारकों को बाजार आसूचना उपलब्ध कराते हैं। इंडिया ट्रेड पोर्टल का संचालन वाणिज्य विभाग के सहयोग से फियो द्वारा किया जाता है और यह एफटीए एवं गैर-एफटीए स्थितियों में टैरिफ परिदृश्यों, एसपीएस अधिसूचनाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है तथा बाजार मार्गदर्शन के लिए भारतीय दूतावासों के लिए एक खिड़की (विंडो) भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, बाजार आसूचना पर महत्वपूर्ण सूचनाएं विभिन्न वेब पेजों पर बिखरी हुई हैं। शुल्क दर (टैरिफ), गैर शुल्क दर, दस्तावेजीकरण, नाशीजीव नाशियों (पेस्टीसाइड) एवं रसायनिक एमआरएल अधिसूचनाओं से संबंधित वास्तविक समय अपडेटों के लिए एक समेकित ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। यह पोर्टल निर्यातकों को बाजारों, मूल्य निर्धारण, हेजिंग एवं एसपीएस अधिसूचनाओं से संबंधित सुभिज्ञ निर्णय लेने में सहायता करेगा। इस पोर्टल में एक शिकायत निपटान तंत्र भी शामिल हो सकता है जो निर्यातकों को बाजार संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।

सभी बड़े आयातक देशों के लिए भारत से प्रमुख कृषि उत्पाद निर्यातों के लिए आयातकारी देशों की आवश्यकताओं की एक नियम-पुस्तक (समआईसीओआर) बनाने की आवश्यकता है। निर्यातक आयातकारी देश की आवश्यकताओं पर गौर कर सकेंगे और इसका अनुपालन करेंगे जिससे कि निर्यातित खेपों के अस्वीकार किए जाने के जोखिम को कम किया जा सके। अपीडा, ईआईसी, एमपीडा, कमोडिटी बोर्ड एवं परिषद एमआईसीओआर का विकास करेंगे एवं उसे अद्यतन बनाएंगे। निर्यातकों के साथ नियमित कार्यशालाओं की भी परिकल्पना की गई है।

- व्यापार प्रक्रियाएं एवं सुगमीकरण

निर्यातक बताते हैं कि बंदरगाहों पर लंबी और जटिल दस्तावेजीकरण तथा परिचालनगत प्रक्रियाएं लगातार चुनौती प्रस्तुत करती हैं (संदर्भ नीचे की सारिणी)। उन्होंने अक्सर देश भर में प्रमुख बंदरगाहों पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं (पेरिशेबल्स) के आयातों एवं निर्यातों की 24X7 सिंगल विंडो मंजूरी को कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिक संगरोधी (क्वारान्टाइन) अधिकारियों को तैनात करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

अर्थव्यवस्था	व्यवसाय करने की सुगमता रैंक	सीमाओं के पार व्यापार								
		रैंक	सीमा अनुपालन		डॉकुमेन्ट्री अनुपालन		सीमा अनुपालन		डॉकुमेन्ट्री अनुपालन	
			निर्यात करने का समय (घंटे)	निर्यात की लागत(अमे.डा)	निर्यात करने का समय (घंटे)	निर्यात की लागत(अमे.डा)	निर्यात करने का समय (घंटे)	निर्यात की लागत(अमे.डा)	निर्यात करने का समय (घंटे)	निर्यात की लागत(अमे.डा)
बांग्लादेश	174	172	100	408	147	225	183	1.204	144	370

चीन	84	96	26	522	21	85	92	777	66	171
डेनमार्क	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0
भारत	130	133	109	413	41	102	287	574	63	145
मलेशिया	18	49	20	321	10	45	24	321	10	60
सिंगापुर	1	41	12	335	4	37	35	220	1	37
श्रीलंका	107	90	43	366	76	58	72	300	58	283
वियतनाम	90	99	57	309	83	139	64	268	106	183

- शिकायत सेल

भारत से कृषि उत्पादों के आयातक अपनी शिकायतों को सूचित करने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों के साथ वार्तालाप करते हैं । निर्यात संबंधी शिकायतों से संबंधित मुद्दों का फॉलो-अप और समाधान प्रदान करने के लिए डीजीएफटी कार्यालयों में व्यापार विवाद सेल कार्यशील है । डीजीएफटी में व्यापार विवाद सेल को उत्तरदायी निर्यात शिकायत सेल के रूप में कार्य करने के लिए उन्मुख किया जाएगा । डीजीएफटी में व्यापार विवाद सेल को पुन:उन्मुख किया जाएगा जिससे की वह निर्यातकों एवं आयातकों के लिए प्रक्रियात्मक शिकायत सेल के रूप में कार्य कर सके।

6.4.ख-समुद्री प्रोटॉकाल का निर्माण: शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (पेरिशेबल्स) के लिए समुद्री प्रोटोकाल का विकास लंबी दूरी के बाजारों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। पेरिशेबल्स के निर्यात के लिए विशेष भंडारण, माल ढुलाई एवं अपेक्षित तापमानों पर लदान - उतराई की आवश्यकता होती है। समय एक बड़ी बाधा है और हवाई माल ढुलाई निर्यातकों के लिए महंगी साबित होती है जबकि कम भाड़ा एवं निम्न बुनियादी ढांचा एयरलाइनों के लिए उपज की ढुलाई अव्यावहार्य बना देता है। बहरहाल, नई ऊपज से संबंधित भारत का निर्यात कई गुना बढ़ सकता है अगर समुद्री प्रोटोकॉल चयनित वस्तुओं की सभी निर्यातित/निर्यात योग्य किस्मों के लिए स्थापित किया जाए। समुद्री प्रोटोकॉल प्रदर्शित करेगा कि समुद्र से माल ढुलाई के लिए किस परिपक्वता स्तर पर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। यह कार्य शिपिंग लाइन्स, रीफर सेवा प्रदाताओं, भाकृअप एवं अपीडा के साथ साझीदारी में किया जाना है। फिलीपींस और इक्वाडोर इसके आदर्श उदाहरण है- दोनों ही देश क्रमश: 40 एवं 24 दिनों की समुद्री यात्रा के लिए केले के निर्यात के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित करने में सफल रहे। फिलीपींस मध्यपूर्व में केले का निर्यात करता रहा है जिसमें लगभग 18 दिन लगते है जबकि भारत केवल 2-4 दिनों की पारगमन अवधि के लिए ही ऊपज का निर्यात करने में सफल रहा है। इसलिए, देश भर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर आयोजित समुद्री प्रोटोकॉल के परीक्षण की अविलंब आवश्यकता है जिसे युद्ध स्तर पर आरंभ किया जाना चाहिए। व्यापार को बढ़ावा देने में इसकी दूरगामी भूमिका होगी।

6.5 सुदृढ़ गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना

एफएसएसएआई, ईआईसी, प्लांट एवं पशु संगरोधी तथा विभिन्न कमोडिटी बोर्डों के मानकों को निर्धारित करने, ऐसे मानकों तथा एक मजबूत प्रत्यापन और निर्यात योग्य प्रतिष्ठानों की पहचान की प्रमाणन व्यवस्था से अन्य निर्यातों में भी सुगमता आएगी।

एसपीएस एवं अन्य देशों की टीबीटी बाधाओं से निपटने में एक ' समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के लिहाज से सुगमीकरण बाजार पहुँच की गति में भी तेजी लाएगा एवं उन देशों से संबंधित उपायों पर गौर करेगा जो अनुपयुक्त बाधाएं खड़ी कर रहे हैं।

सुदृढ़ गुणवत्ता प्रणाली स्थापित करने की दिशा में भारत के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, फोकस मजबूत अनुसंधान एवं विकास, नई किस्मों, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक लैब नेटवर्किंग प्रक्रिया पर होगा।

6.5.क. घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना एवं रखरखाव :

नियमित आधार पर निर्यात आर्डर प्राप्त करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता में निरंतरता बनाये रखना महत्वपूर्ण होता है। घरेलू बाजार के लिए निर्धारित एवं निर्यात बाजार के लिए निर्धारित गुणवत्तापूर्ण मानकों से संबंधित नीति में एकरूपता होनी चाहिए। यह विशेष रूप से फलों एवं सब्जियों, पशुधन एवं डेयरी जैसे असंगठित और विखंडित क्षेत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है जहॉ अभी भी इसका पता नहीं लग रहा । इसके परिणामस्वरूप, भारत की कृषि ऊपज अक्सर आयातकारी देशों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरी नहीं कर पाती। कृषि प्रचलनों एवं घरेलू विपणन पर सीमित नियंत्रण निहित एवं प्रतिस्पर्धी निहित तत्वों को डर पैदा करने एवं व्यापार को बाधित करने का अवसर दे देते हैं। एफएसएसएआई घरेलू बाजार में विनिर्मित एवं देश में आयातित खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल, निर्यात मानदंड डीओसी के तहत विभिन्न निकायों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो आयातकारी देशों द्वारा लगाए गए अनुबंध नियमों के परिणाम हैं । उच्च गुणवत्तापूर्ण आम, केले एवं काजू उपजों का निर्यात किया जाता है जबकि निम्न मानदंड एवं निम्न-मानक ऊपज देश भर में घरेलू बाजार में चले जाते हैं। घरेलू मानकों के समन्वयन का परिणाम ऊपज की गुणवत्ता में समग्र सुधार,उत्कृष्ट कृषि प्रचलनों के बारे में जागरूकता एवं निर्यात के लिए कारोबारी लागत में कमी के रूप में सामने आएगा।

6.5.ख. एसपीएस एवं टीबीटी अनुक्रिया तंत्र:

क) यह सामान्य रूप से विदित है कि इससे पहले कि देश, उत्पादों के लिए बाजार पहुँच की अनुमति दें, बाजार पहुँच से संबंधित मुद्दे महीनों, कभी कभार वर्षों तक बने रहते हैं। प्रशुल्क बाधाएं, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान युक्त व्यापार समझौतों एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के कारण कम हो रही है, के लिए अतिरिक्त गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबी) एवं सख्त गुणवत्ता/पादप-स्वच्छता मानक नियंत्रणकारी/निवारक बाजार पहुँच के प्रतिमान बनते जा रहे हैं। त्वरित

चेतावनियों एवं धमकियों का प्रत्युत्तर देना और यह सुनिश्चित करना कि चिंता /समस्या क्षेत्र उत्पादकों/ संसाधित्रों एवं निर्यातकों तक विस्तारित हो जाएं, आवश्यक है। एक अनुक्रिया तंत्र के अभाव में, अस्थायी नियंत्रण/प्रतिबंध के बढ़ जाने की संभावना पैदा हो जाती है और कई बार प्रतिबंध हटाने में वर्षों भी लग सकते हैं।

ख) त्वरित चेतावनियों के प्रत्युत्तर के अतिरिक्त, बाजार पहुँच प्रयासों के लिए कीट जोखिम विश्लेषण की प्रस्तुति, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर डोसियर (मिसिल) आयातक देशों /अभिप्रेतकारी (इटेंडिंग) देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता होती है कि विभागों/ इन मुद्दों के उत्तर के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की बहुलता को देखते हुए, आम तौर पर इन मुद्दों का उत्तर देने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लग जाता है जिससे बाजार पहुँच में देरी होती है।

ग) खाद्य उत्पादों में अवशिष्ट स्तर, प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण प्रोटोकॉल एवं आयातकारी देशों द्वारा अनुपालन किया जाने वाला साहिष्णुता स्तर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर प्रयासों के समन्वय की आवश्यकता है। प्रयोगशाला को प्रत्यायन देने वाली विविध एजेंसियों की जगह आयातक देशों द्वारा निर्धारित सहिष्णुता सीमाओं के अनुरूप परीक्षण करने की उनकी क्षमता के साथ साथ प्रयोगशालाओं की क्षमताओं का एक व्यापक मानचित्रण विविध प्रत्यायनों की आवश्यकता का निवारण करेगा। कृषि निर्यात नीति के एक हिस्से के रूप में वाणिज्य विभाग एकल पोर्टल का प्रस्ताव रखता है जो प्रयोगशालाओं को एकल प्रत्यायन की सुविधा प्रदान करेगा एवं विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग प्रत्यायन कार्यकलाप करने से बचाएगा। एनएबीएल संयुक्त आकलन एवं प्रत्यायन के लिए प्रमुख संगठन होगा। डिफॉल्ट की स्थिति में यह मूल कारण विश्लेषण को भी सुगम बनाएगा एवं गैर-जिम्मेदार सैंपलिंग या निर्यातित उत्पादों के लिए परीक्षण तंत्र की स्थिति में डिफॉल्ट करने वाली प्रयोगशालाओं को दंडित करेगा।

इसी प्रकार, अवशिष्ट निगरानी योजनाओं (आरएमपी) का खाका क) पता लगाने की क्षमता को बरकरार रखने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म के निर्माण, ख) परीक्षण प्रोटोकॉल के मानवीकरण के द्वारा निर्यातों के सुगमीकरण में सहायता करेगा। अपीडा ने अंगूरों के लिए पहले ही इसकी शुरूआत कर दी है। कृषि निर्यात नीति के एक हिस्से के रूप में निर्यात जांच परिषद द्वारा इसी प्रकार की एक पहल देश से निर्यात किए जाने वाले झींगों के लिए प्रस्तावित है। पता लगाने की क्षमता पहलों को इसके दायरे में लाने के प्रयास किए जाएंगे। किसानों की सहभागिता के जरिये पता लगाने की क्षमता प्रणाली के लिए आवश्यक विवरणों को शामिल करने के लिए एक सांचा/संरचना का विकास किया जाएगा जिसे राज्य सरकारों की सहायता से कर्यान्वित किया जाएगा।

घ) आयातक देशों द्वारा जिन कीटनाशियों पर पाबंदी/प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके आधार पर भारत में एक नीतिगत उपाय की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से, अगर वैकल्पिक कीटनाशी उपलब्ध हों। उनके वैज्ञानिक पैनल की अनुशंसा के बाद केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड (सीआईबी)

द्वारा नए कीटनाशकों के पंजीकरण में महीनों लग सकते हैं और इसके फलस्वरूप कीटनाशियों की व्याप्ति हो सकती है जिन्हें आयातक देशों में प्रतिबंधित/अप्रयुक्त पाया गया है। कभी-कभार, ऐसे कीटनाशियों जो आयातक देशों (उदाहरणस्वरूप, यूरोपीय संघ में ट्राइसाइक्लाजोल) में पंजीकृत नहीं हैं, के लिए सुविस्तृत वैज्ञानिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए सीआईबी द्वारा एक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

ड.) इसके अतिरिक्त, कृषि एवं खाद्य उत्पादों की निर्यात अस्वीकृति के मामले में एक मूल कारण विश्लेषण तथा ऐसी अस्वीकृति के कारणों की पहचान किए जाने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) एवं यूरोपीय संघ ने अपने वेब पोर्टल में आयात अस्वीकृतियों को प्रदर्शित करने की एक प्रणाली विकसित की है। कृषि निर्यात नीति के एक हिस्से के रूप में, वाणिज्य विभाग सभी निर्यात अस्वीकृतियों की निगरानी के लिए एक समान पोर्टल विकसित करने तथा मूल कारण विश्लेषण करने, सुधारात्मक कदम उठाने के लिए तथा अगर जरूरत पड़ी तो उठाए गए कदम के बारे में साझीदार देश को उत्तर देने के लिए विभिन्न नोडल एजेन्सियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता है।

इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत के बाजार पहुँच आग्रहों पर विचार करने, भारतीय बाजार तक पहुँच के लिए व्यापारिक साझीदारों के बाजार पहुँच आग्रह के साथ इसे अशांकित करने तथा एसपीएस/टीबीटी बाधाओं के त्वरित प्रत्युत्तर के लिए प्रासंगिक मंत्रालयों, एजेन्सियों के प्रतिनिधित्व के साथ वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में एक संस्थागत तंत्र सृजित करने का सुझाव दिया जाता है। उपरोक्त संस्थागत तंत्र का अधिदेश निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करेगा:

(i) बाजार पहुँच नामत: कीटनाशी जोखिम विश्लेषण, खाद्य उत्पादों का जोखिम आकलन, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमों आदि से संबंधित दस्तावेजों की प्रस्तुति से संबंधित मुद्दों पर नए बाजारों की खोज करने तथा संबंधित एजेन्सियों द्वारा उठाए गए कदमों पर।

(ii)भारतीय कृषि समुद्री एवं प्रसंस्कृत उत्पादों (चाय, कॉफी, मसालों समेत) के सामने आ रही एनटीबी एवं एनटीबी से निपटने की कार्यनीतियों/एनपीपीओ ईआईसी, अपीडा, एमपीडा जैसे अन्य निर्यात संवर्द्धन निकायों को आवश्यकताओं एवं बैठकों के बीच की गई प्रगति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

(iii) विभिन्न उत्पादों के लिए निर्यात-पूर्व निगरानी एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए हमारी ताकत/क्षमता की स्थिति, हमारी प्रयोगशालाओं एवं अन्य निर्यात-पूर्वअवसंरचना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के समकक्ष लाने के लिए अंतरालों एवं रोडमैप की पहचान करना।

(iv) व्यवसाय करने की सुगमता के एक हिस्से के रूप में ऑनलाइन कारोबार के लिए पहल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न एजेन्सियों नामत: कस्टम्स का आइसगेट, डीजीएफटी

का सॉफ्टवेयर, निर्यात विकास प्राधिकरण का सॉफ्टवेयर एक दूसरे के संपर्क में रहें एवं निर्यातकों के लिए पेपरवर्क में कमी आए।

(v) राष्ट्रीय मानकों से संबंधित निर्यातकों की चिंताओं पर विचार करना, एफएसएसएआई द्वारा घटकों की आयात मंजूरी त्वरित निर्यात/ आयात मंजूरी के लिए जोखिम आधारित जांच/ग्राहक प्रत्यायन प्रणाली पर भी इस प्लेटफार्म पर चर्चा की जा सकती है।

6.5.ग. अनुरूपता आकलन : कई आयातक देश भारत की निर्यात जॉच एवं नियंत्रण प्रक्रियाओं को मान्यता नहीं देते। भारतीय परीक्षण प्रक्रियाओं एवं अनुरूपता मानकों को मान्यता की कमी निर्यातकों के लिए और इस प्रकार किसानों के लिए महंगी साबित होती है। कई बार इसकी वजह से देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षणों की बहुलता एवं दुहराव देखने में आता है। मसाले, जैविक खाद्य, बासमती उत्पाद इसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। समान रूप से, सरकार को देशज एवं जैविक उत्पादों एवं मानकों की परस्पर मान्यता के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान अनिवार्य रूप से ठोस प्रयास करना चाहिए। ईआईसी, अपीडा, एमपीडा, मसाला बोर्ड आदि कृषि निर्यातों के सुगम निर्यात को मान्यता दिए जाने के लिए अनुरूपता आकलन प्रक्रिया के लिए प्रयास करते रहेंगे।

6.6 अनुसंधान एवं विकास

हितधारकों ने अक्सर निर्यातोन्मुखी उत्पाद विकास के लिए संसाधनों की पहचान करने एवं उपयोग करने तथा चिन्हित जिंसों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण की आवश्यकता की अनुशंसा की है। कृषि उत्पादों की कुछ किस्मों में उन्नत जननद्रव्य के आयात की भी आवश्यकता है। वित्तीय निहितार्थों का पता लगाने के लिए आरएंडडी क्षेत्र में आवश्यक युक्तियों पर हितधारकों से सुझाव मांगे जाएंगे।

सरकार द्वारा उच्चतर अवसंरचना व्यय के साथ निजी उद्योग के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) कृषि निर्यातों को बढावा देने की कुंजी होगी। कई दशक पहले, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास ने हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित कीं। तब से बागवानी फसलों की तुलना में खेत एवं प्रयोगशाला में अनाजों को अधिक आवंटन प्राप्त हो रहा है।

निर्यात मोर्चे पर, पूसा बासमती 1121 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएइआरआई द्वारा सफल घरेलू अनुसंधान का संभवत: एक अच्छा उदाहरण है जिससे सराहना और विदेशी मुद्रा दोनों ही प्राप्त हुई है। बासमती निर्यात उद्योग इसके आरंभ होने के बाद एक बिलियन डॉलर से भी कम के उद्योग से चार गुना बढकर 4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

इसके साथ साथ पैकेजिंग में नवोन्मेषण उत्पादों की निधानी आयु में सुधार एवं आयातक देशों की अभिरुचि के अनुकूल उत्पादों के विकास में अधिक अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता

दी जाएगी। भारतीय पैकेजिंग संस्थान सहित वाणिज्य विभाग के तहत स्वायत्तशासी निकाय इस दिशा में हितधारकों, एमओएएफपीआई वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद , (सीएसआईआर) और राज्य सरकारों के साथ कार्य करेंगे। निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सूचनाओं के प्रसार हेतु विस्तार सेवाओं के लिए एक प्रभावी संस्थागत संरचना की आवश्यकता है।

- **निर्यातोन्मुखी बीज जननद्रव्य का आयात करना**

बीज विकास एवं वाणिज्यीकरण में योजना का लंबा विकास काल वास्तव में उत्पादकता को बढावा देने में एक महंगी बाधा है। पर्याप्त विनियमन एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों में कमी के कारण निजी क्षेत्र ने प्रौद्वोगिकी हस्तांतरण के प्रति आशंका प्रकट की है। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि केंद्र सरकार एक समग्र निधि का निर्माण करे जो आयातक जननद्रव्य एवं विश्व भर में प्रजनकों से चिन्हित निर्यात योग्य फोकस फसलों की बीज किस्मों के लिए एक मैचिंग फंड के रूप में कार्य करेगा । आईसीएआर भाकृअप, अपीडा, मसाला बोर्ड एमपीडा आदि एवं निजी उद्योग को अनिवार्य रूप से प्रमुख हितधारक होना चाहिए। प्रत्येक फोकस फसल/ उत्पाद पशुधन और जलीय कृषि जीवाश्म, के लिए किस्मगत आयात की दिशा में निजी योगदान के समतुल्य अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए एक तंत्र के निर्माण हेतु अग्रणी निर्यातकों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना समान रुप से महत्वपूर्ण होगा कि निजी प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए आईपी अधिकारों का बेहतर प्रवर्तन हो।

- निर्यातकों का सुझाव है कि पैटेंटकृत रंगीन/ स्वत: विरलन अंगूर किस्मों के आयात की आवश्यकता है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है।
- नाना पर्पल, कृष्णा सीडलेस (ब्लैक सीडलेस) एवं सुपर सोनाका, मणिकचमन, एसएस, आरके (सफेद सीडलेस किस्में) जैसी नई सफल बाजार अंगूर किस्में, जो मध्य पूर्व में लोकप्रिय हैं, को कटाई-उपरांत प्रोटोकॉल की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से स्वीकृत, पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- बेहतर गुणवत्ता एवं दीर्घ अवधि के लिए (अर्थात हॉलैंड उद्गम) आलू के बीज को सुधारा जाए।
- ईयू को निर्यात करने के लिए लहसुन एवं सफेद प्याजों की कम तीक्ष्ण किस्मों का आयात।
- भारत में उगाए जाने वाले औसत 300 ग्राम आकार के फल के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत 500 ग्राम आकार की अनार किस्मों का अनिवार्य रूप से आयात किया जाना चाहिए।

- **जैविक ऊपज के निर्यात में सहायता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मजबूत अवसंरचना के साथ परीक्षण प्रयोगशालाएं**

एकनिष्ठ निर्यात क्लस्टर फोकस के साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात योग्य जैविक ऊपज का उत्पादन करने की क्षमता है। मसाला निर्यातकों ने विशेष रूप से क्षेत्र में उगाए जाने वाले जैविक/ गैर जैविक उच्च गुणवत्तापूर्ण हल्दी, अदरक एवं काली मिर्च में दिलचस्पी प्रदर्शित की है। इसमें निर्यात/ आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए अत्याधुनिक परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, ऊपज को परीक्षण के लिए कोलकाता भेजा जाता है जो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से चुनौतीपूर्ण एवं बेहद खर्चीला साबित होता है। हितधारकों द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि विशेष रूप से मसालों के परीक्षण के लिए गुवाहाटी में एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर भंडारण एवं हैंडलिंग अवसंरचना के उन्नयन की पूर्व उल्लेखित अनुशंसा भी इस कदम के लिए सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त, प्लांट क्वारान्टाइन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं की अगरतला में अकाहुरा, करीमगंज में सुतारकांडी, मेघालय में दावकी, मणिपुर में मोरेह एवं मिजोरम में जोखावतर में स्थापना किए जाने की व्यावहार्यता पर अवश्य काम किया जाना चाहिए। ये म्यांमार के बरास्ते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इन केंद्रों में अनौपचारिक व्यापार को बढावा देंगे एवं विनियमित करेंगे।

6.7 विविध

6.7.क -एग्री स्टॉट अप फंड का सृजन : कृषि उत्पाद निर्यातों में एक नया वेंचर स्थापित करने की आरंभिक अवधि के दौरान उद्वमियों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। कृषि निर्यात क्षेत्र में, एक स्टॉट अप जो एक नई अवधारणा/ उत्पाद/ परियोजना पर काम करने जा रहा है, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे सभी प्रस्तावों को इसके मूल्यांकन के लिए फंड मैनेजर को उल्लेखित किया जाएगा और सुयोग्य प्रस्तावों के लिए फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी जिनसे देश से कृषि निर्यातों में बढोतरी होगी। उदाहरण के लिए, उत्कृष्ट खेती, पादप स्वास्थ्य निगरानी, उत्कृष्ट खेती के लिए द्रोन का उपयोग, पैकेजिंग पारगमन में ऊपज की ट्रैकिंग सहित कृषि मूल्य श्रृंखला में आईटी के उपयोग को फंड द्वारा सहायता दी जा सकती है।

निष्कर्ष

इस नीति का लक्ष्य उन सभी मुद्वों पर विचार करना है जिनमें भारत को कृषि निर्यातों के शीर्ष ब्रैकेट में प्रोत्साहित करने की क्षमता है। ऐसा अक्सर माना गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण उत्पादकता अर्जित करने एवं लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ साथ

सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रचलनों के अनुपालन की सर्वाधिक भरोसेमंद पद्धतियों में से एक है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए निर्विवाद रूप से आय के उच्च स्तरों एवं खाद्य मूल्य श्रृंखला में सुधार की आवश्यकता होगी।

****